लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
7-4-9?
Fumigated
On 7/1/83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
तांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू	२७६३
श्री टेक चन्द	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २६४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	२७८८

लोक-सभा

शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

स्थगन प्रस्ताव

सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री के० ए० दामोदर मेनन से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । विषय यह है :

> "सेना आर्डिनेन्स दल के ४००० सिपाही क्लर्कों को, जिन्हों ने ६ से ७ वर्ष के बीच सेवा की है, १५ वर्ष तक सेवा के लिए सरकारी प्रत्याभूति के विरुद्ध सरकार द्वारा सेवामुक्त किये जाने के नोटिस दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति ।"

यह आदेश कब, कितने समय पहले जारी किया गया था ?

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : यह आदेश दो दिन पूर्व जारी किया गया था । अब तक सेवा मुक्त किये जाने के नोटिस दिये गये हैं और कोई आधार नहीं बताया गया है । मैं समझता हूं कि यह साधारण छंटनी है । सरकार की ओर से उन व्यक्तियों को यह प्रत्याभूति दी गई थी कि उन्हें १५ वर्ष तक सेवा में रखा जायेगा । अब इस प्रत्याभूति के विरुद्ध, उन की छंटनी की जा रही है ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : साधारण स्थिति यह है कि सिपाही प्रारम्भ में नौ वर्ष के लिये नियुक्त किये गये थे और वे अधिरक्षित रूप में छै वर्ष और सेवा करने के लिये बाध्य हैं । कुछ मामलों में आठ वर्ष और सात वर्ष की अवधि है और इस प्रकार अवधि कुल पन्द्रह वर्ष की होती है उस में अधिरक्षित सेवा भी सम्मिलित है । जहां तक इन का सम्बन्ध है, कुछ कहने के पूर्व मैं और अधिक जानकारी एकत्र करना चाहता हूं । किन्तु सभा को ज्ञात है कि भारतीय सेना की युद्धोत्तर शक्ति आपात के कारण युद्ध काल की शक्ति की अपेक्षा बहुत कम होने जा रही है और इसलिये कुछ लोगों को जाना ही पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : पन्द्रह वर्ष की अवधि के पहले ही ?

सरदार मजीठिया : ऐसा हो सकता है । प्रारम्भ में वे आठ या नौ वर्ष के लिये और बाद में अधिरक्षित सेवा के लिये उन्हें नियुक्त किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अधिरक्षण के लिये उन्हीं लोगों को लिया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : हां, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन लोगों को अधिरक्षणकाल के पूर्व ही सेवामुक्त कर दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : अधिरक्षणकाल में वे सेवा नहीं करते हैं । वे घर वापस चले जाते हैं और उन्हें कुछ भत्ता दिया जाता है । फिर एक साल में लगभग एक महीने के प्रशिक्षण के लिये उन्हें बुलाया जाता है । जैसा कि मैं ने कहा इस पर कुछ कहने के पूर्व मैं अधिक ब्यौरा प्राप्त करना चाहता हूं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि माननीय मंत्री के इस कथन को दृष्टि में रखते हुए कि वह जानकारी एकत्र करने के लिये कुछ समय चाहते हैं, इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर दी जाये ?

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्कारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि छंटनी नहीं होगी ? माननीय मंत्री ने कहा कि इस विषय में उन्हें जानकारी एकत्र करनी होगी । क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस बीच छंटनी नहीं होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि हम सत्र के समाप्त होने के पूर्व ही माननीय मंत्री जानकारी एकत्र कर लेंगे और अगले सत्र तक के लिय उसे स्थगित नहीं करेंगे । यह मूल ठेके का एक भाग मालूम होता है कि आठ या नौ वर्ष के लिये वे क्रियाकारी सेवा करते रहेंगे और बाकी अवधि में उन्हें कुछ भत्ता मिलता रहेगा । यदि ऐसा हो, तो मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई आधार नहीं देखता हूं । फिर माननीय मंत्री के इस कथन पर, कि वह तथ्यों को एकत्र करेंगे, विचार करते हुए, मैं इस प्रस्ताव का कोई अविलम्बनीय महत्व नहीं देखता हूं और इसलिये मैं इसे स्वीकार न करते हुए माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के बाद वह सभा के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करें ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृति का निर्णय देने के पूर्व हम माननीय मंत्री की सूचना की प्रतीक्षा करें ?

सरदार मजीठिया : मैं सोमवार को विवरण प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः यह सोमवार तक स्थगित रहेगा ।

सभा का कार्य

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में समय नियतन

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि ८ और १० दिसम्बर, १९५४ को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और रेलवे सम्मेलन समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा करने के लिये छै घंटे नियत किये गये हैं । अब मैं संसद् कार्य मंत्री से निवेदिन करूंगा कि सभा द्वारा इस प्रतिवेदन के अनुमोदित किये जाने के लिये वह एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"आज की गई उपाध्यक्ष महोदय की घोषणा के अनुसार यह

सभा रेलवे सम्मेलन समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्थापित समय-नियतन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ९ दिसम्बर, १९५४ को डा० कैलाशनाथ काटजू द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं कल उन घटनाओं के बारे में बता रहा था जिन के कारण इस प्रकार के विधेयक का होना आवश्यक हो गया है । इस प्रश्न के सभी पहलुओं के विस्तार में जाने से पूर्व मैं इस विधेयक के विरुद्ध की गई कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाओं का उत्तर दूंगा ।

यह प्रश्न प्रायः उठाया गया है कि देश की साधारण विधि सरकार द्वारा कल्पित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त नहीं है और यह विधेयक इसी विचार से रखा गया है । इस विषय में मैं सभा को उस चर्चा का स्मरण दिलाता हूं जो १९५२ में हुई थी जिसमें न केवल संशोधन विधेयक किन्तु सम्पूर्ण विधेयक का परीक्षण किया गया था । अतः यह कहना पर्याप्त होगा कि सभा ने साधारण विधि को देश की वर्तमान स्थिति अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिये अपर्याप्त समझा था । अब वास्तव में सभा को यह विचार करना है कि इस विधेयक की अवधि और बढ़ाना कहां तक न्यायोचित है और भूतकाल में यह अधिनियम किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है ।

इस विधेयक की एक आलोचना यह भी की गई है कि यह विधेयक देश की जनता की गरीबी को छिपाने के लिये रखा गया है जिस से कि सरकार अनिश्चित काल तक सत्तारूढ़ रह सके । अतः कम्युनिस्ट दल के नेता ने यह कहा कि यदि जनता आन्दोलन न करती तो सरकार उतनी भी सहायता न करती जितनी कि वह आज कर रही है । इसलिये जनता को अपना असंतोष व्यक्त करने के लिये सुविधायें देने के हेतु इस प्रकार का विधेयक नहीं होना चाहिये । इस पर हमारा कथन यह है कि गरीबी की समस्यायें दूर करने के लिये ही हम इस प्रकार का विधेयक चाहते हैं । दूसरी ओर विरोधी सदस्य यह चाहते हैं कि आन्दोलन करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये जिस से कि निहित स्वार्थ वाले दल राजनैतिक उद्देश्यों के लिये परिस्थिति से लाभ उठा सकें । इस प्रश्न पर दोनों दलों के दृष्टिकोण में यही अन्तर है । प्रजा समाजवादी दल के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक के द्वारा सभी विरोधी राजनैतिक दलों की उपेक्षा की है । किन्तु यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि देश के अधिकतर हितों के लिये हम उसे आवश्यक समझते हैं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, यद्यपि हम अनेक विपत्तियों से बच निकले हैं फिर भी देश अभी उथल पुथल की स्थिति में है और आज भी विघटनकारी प्रवृत्तियां,

[श्री एन० एम० लिंगम]

साम्प्रदायिक रोष और रचनात्मक कार्यों में बाधक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। परला की मेडी में भाषा के सम्बन्ध में उत्तेजना है, किसान और औद्योगिक कर्मचारियों को हिंसा के लिये उत्तेजित किया गया है। इस प्रकार भारत में पूर्ण शांति नहीं है और इन सब के पीछे कुछ राजनैतिक उद्देश्य हैं।

आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि यह अधिनियम बहुत नर्मी से कार्यान्वित किया गया है। देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में ५ आवश्यक संभरण के सम्बध में १२ और अवैध हड़तालों के सम्बन्ध में १२ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था। १९५०–५१ में निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या ४,४०० थी, फरवरी १९५२ में ११०० थी, जून १९५२ में ९८९ थी और आज वह ३०० से भी कम है। यही आंकड़े विधेयक के जारी रखे जाने के विरोध में भी बताये जा सकते हैं। किन्तु संविधि पुस्तक पर यह विधेयक उपद्रवकारियों के लिये एक निवारक उपाय रहा है। देश में शांति बनाये रखने के लिये इस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस विधेयक को समाप्त करने का यही एक-मात्र उपाय हो सकता है कि सभा के सभी सदस्य और देश की जनता एक मत से देश के विकास के लिये आंतरिक विधि के अनुसार कार्य करें।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): माननीय गृह मंत्री तथा उन के सहयोगी निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिये संशोधन विधेयक प्रति वर्ष पुरः स्थापित कर के संसदीय लोकतन्त्र का मजाक उड़ा रहे हैं। लोकतन्त्रात्मक सरकार चलाने की भारत की शक्ति के लिये यह निंदाजनक है। हम ने सदायतः यह कहा है कि यह एक काला कानून और विधिहीन विधि है, किन्तु माननीय मंत्री यह बताते हैं कि संविधान में उपबन्ध के कारण वह विधि हीन विधि नहीं है। अमेरीका के सब से बड़े वकील श्री बेबस्टर ने प्रसिद्ध डार्टमाउथ कालेज वाले मुकदमे में कहा है :

> "विधान रूप में प्रत्यक अधिनियम विधि नहीं है। विधि का अर्थ है जो निन्दा करने के पूर्व सुने और जो जांच के बाद कार्यवाही करे और अभियोग के बाद न्याय दे।"

मेरा निवेदन है कि निवारक निरोध अधिनियम में किसी सभ्य कार्यवाही या सभ्य न्याय की मूलभूत कल्पनाओं की कोई प्रत्याभूति नहीं है। उस के अन्तर्गत कोई सुनवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है और कोई अभियोग नहीं है। यद्यपि दो वर्ष पूर्व हम ने कुछ सुधार किये थे, फिर भी वास्तव में मंत्रणा बोर्ड के समक्ष वाली सुनवाई केवल एक मजाक है। यह मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मंत्रणा बोर्ड के सामने किस प्रकार जांच की जाती है।

मुझे यह सुन कर भारी धक्का पहुंचा है कि डा० काटजू इसे "आवश्यक" और "अनिवार्य" विधेयक कहते हैं। यह अनिवार्यता कहां से प्राप्त हुई है? भारत के संविधान में हमें विधि बनाने के लिये विधायनि शक्ति प्राप्त है किन्तु क्या यह कोई कारण है कि हम अवश्य विधि बनायें ही। वह तो विधान बनाने संबंधी योग्यता का प्रश्न है किन्तु संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं है। जस्टिस महाजन ने कहा है :

> "निवारक निरोध विधियां लोक तन्त्रात्मक संविधान के विरुद्ध हैं, और दुनिया के किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश में ऐसी विधियां नहीं पाई जा सकती हैं। वकील संघ में यह कहा गया था कि अमेरीका

में ऐसी कोई विधि लागू नहीं थी ।"

लड़ाई के दिनों में इंगलिस्तान में इसी प्रकार का एक विधान लागू किया गया था जिसे डिफेंस आफ दी रेल्म रेगूलेशन कहते थे परन्तु वह इस से कहीं अच्छा था तथा निरुद्ध व्यक्ति के प्रति कहीं अधिक उदार था । परन्तु जब लड़ाई समाप्त हो गई, बाहरी आक्रमण का कोई भय नहीं रहा तथा शान्ति स्थापित हो गई तो यह विधान वापस ले लिया गया और अब कोई सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां इस प्रकार का कोई विधान लागु हो । माननीय गृह-कार्य मंत्री न बड़ी गंभीरता से कहा है कि यह अत्यन्त आवश्यक तथा अनिवार्य है । हमारा संविधान हमें ऐसे विधान बनाने के लिये विवश नहीं करता है । दंड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार के उपबन्ध मौजूद हैं । उस के बाद भी हमें इस प्रकार के विधान बनाने की क्या आवश्यकता है । अनवर अली सरकार के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि हमारा संविधान निर्जीव शब्दों का केवल एक ढ़ेर मात्र नहीं है वरन् उस में सजीव अग्नि की लपटें हैं जो हमारे वर्तमान तथा भविष्य के पथ को अलोकित करती हैं । हमारे संविधान के आरम्भ में जो प्रस्तावना दी गई है उस के शब्द हैं ।

"हम, भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता;" इत्यादि जनतंत्र का क्या अभिप्राय है ? उस की मांग तो यही है कि विकास के अवसरों की समता का विधियों द्वारा संरक्षण किया जाये । थोड़े थोड़े काल के लिये निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ा कर, जो हमें बोरबोन निरंकुशता तथा ट्यूडर अत्याचार की याद दिलाता है, क्या आप भारत को लोकतन्त्रात्मक गणराज्यों की श्रेणी में रख रहे हैं ? क्या यही वह स्वराज है जिस की कल्पना भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के बड़े बड़े सेनानियों ने की थी ? क्या यही वह स्वतन्त्रता है जिस के लिये देशबन्धु चितरंजन दास तथा पंडित मोती लाल नेहरू ने संघर्ष किया था, जिस के लिये भारत के महानतम व्यक्तियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिस के लिय लाला लाजपत राय न अपनी जान गंवाई थी तथा कितने ही शहीदों ने फांसी के तख्ते को चूमा था ? जब तक यह अधिनियम मौजद है, यह वह स्वतन्त्रता कभी नहीं हो सकती है । हमारे लोकतन्त्रात्मक संविधान पर यह एक कलंक है । न्यायाधिपति होल्मस तथा न्यायाधिपति मार्शल का भी कहना है कि संविधान को कोई ऐसी वस्तु नहीं समझना चाहिये जो विकास-हीन हो । यह मीड्स तथा फारस के रहने वालों की विधि नहीं है जो आकाट्य हो और न ऐसा पवित्र ग्रंथ हैं जो केवल एक ही पैगम्बर पर अवतरित हुआ है । मैं यह भली भांति जानता हूं कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक नियंत्रण दोनों का सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है । जब अंग्रेजों ने बहिष्कार तथा आन्दोलन के समय में, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (जन सुरक्षा अधिनियम पर) १८१८ के बंगाल रेगूलेशन संख्या ३ के अनुसार, जो हमारे निवारक निरोध अधिनियम ही के समान थे, लाला लाजपतराय, सरदार अजीत सिंह, कृष्ण कुमार मित्र, सुभाष चन्द्र बोस, तथा अन्य व्यक्तियों को निरुद्ध किया था तो क्या देश के सभी बड़े बड़े आदमियों ने उन विधियों को विधिहीन नहीं कहा था ? परन्तु आज आप उसी का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं । इस का कारण देश का लाभ नहीं वरन् स्वयं आप का

[श्री एन० सी० चटर्जी]

लाभ है : आज खतरा देश के लिये नहीं है वरन् कांग्रेस के लिये है जिस ने देश को अपने प्रभुत्व में जकड़ रखा है । आप कहते हैं कि आप ने खाद्यों पर से तथा चीनी पर से कंट्रोल हटा लिया है परन्तु आप ने स्वतन्त्रता पर जो कंट्रोल लगा रखा है उस को आप क्यों नहीं हटाते हैं ? आप के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है । आप जब चाहें संसद् की बैठक बुला कर थोड़े दिनों में ही इस प्रकार का अधिनियम पास करा सकते हैं । इस अधिनियम के व्यपगत होने से आप को बहुमत का जो बल प्राप्त है उस का तो कोई अन्त होता नहीं है । संसार में आज कौन-से देश भारत के जैसा शान्तिपूर्ण है ? हां वही पुरानी युक्ति अवश्य है । "यहां कामरेड है" आज अमरीका से ज्यादा कम्युनिज्म का विरोधी कौन है ? पंडित नेहरू कम्युनिज्म के विरोधी नहीं हैं । वह चीन जाते हैं और चांग और चाऊ-एन-लाई की दोस्ती का दम भरते हैं और जब लौट कर आते हैं तो भारत के कम्युनिस्टों पर प्रहार करते हैं । फिर भी आइजनहोवर की सरकार बिना किसी निवारक निरोध अधिनियम के ही कम्युनिज्म का सामना सफलतापूर्वक करती है । तब फिर यही काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं ? इस का कारण यह है कि हमारा जो प्रशासनिक संगठन है वह बहुत दोषपूर्ण है हमारी पुलिस अयोग्य है तथा उस में भ्रष्टाचार है । कहा जाता है कि हमारे देश में डाकू हैं इसलिये हमें निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता है । माननीय गृह कार्य मंत्री गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि उन की सरकार ने इस का प्रयोग राजनैतिक दलों के विरुद्ध न कभी किया और न कभी करेंगे । परन्तु यह पूर्णतः असत है । जन संघ तथा रामराज्य परिषद् दोनों दलों के पदाधिरियों के विरुद्ध इस का प्रयोग किया गया है । इस सम्बन्ध में जो जानकारी हमें दी गई है उस के अनुसार इसके अन्तर्गत १५४ व्यक्ति निरुद्ध किये गये हैं उन में अधिकांश संख्या कम्युनिस्टों की है । इस के बाद नम्बर हिन्दू महासभा का, आर० सी० पी० आई का, एस० वी० आई० का है मैं समझता हूं कि यह सभी राजनैतिक दल हैं । राजस्थान, अजमेर तथा कच्छ के अतिरिक्त जहां कुछ व्यक्तियों को डाकुओं को आश्रय देने के लिये निरुद्ध किया गया है सभी स्थानों के अधिकांश निरुद्ध व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक दलों के ही हैं ।

पृष्ठ ५ के विवरण ४ को यदि आप देखें तो आप को मिलेगा कि १ अक्तूबर, १९५३ से ले कर ३० सितम्बर, १९५४ तक कुल १७ व्यक्ति निरुद्ध किये गये । उन में से ८ व्यक्तियों को पटना इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध अवैध हड़ताल चलाने के लिये पकड़ा गया है, केवल नौ व्यक्ति संभरण के संधारण के लिये निरुद्ध किये गये हैं । जो लोग चोरबाजारी करते हैं तथा जनता के स्वास्थ्य तथा जीवन को खतरे में डालते हैं उन के विरुद्ध इस का प्रयोग यदा कदा ही किया जाता है । पृष्ठ ८ पर दिया हुआ है कि केवल एक मामले में १४ व्यक्ति निरुद्ध किये गये उन में से आठ पश्चिम बंगाल की विधान सभा के सदस्य थे । उन का अपराध केवल इतना ही था कि उन्हों ने पश्चिम बंगाल के माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के आन्दोलन में सहयोग दिया था ।

इस अधिनियम का प्रयोग ऐसी लापरवाही के साथ किया जाता है कि १९० मामलों में उच्चतम न्यायालय को उन लोगों को इस आधार पर मुक्त करना पड़ा कि उन को निरुद्ध करने के आधार भ्रमपूर्ण थे तथा उन का निरोध अवैध तरीकों से दिया गया था ।

इस अधिनियम के सब से घातक शब्द हैं, "प्रान्तीय सरकार का सन्तोष"। यहां प्रान्तीय सरकार से तात्पर्य है कोई कायपालिका का अधिकारी। श्री गोपालन के मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा था, "हमें बड़ा खेद है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सच्चाई के प्रश्न पर विचार करने की हमें शक्ति नहीं दी गई है इसलिये प्रकट रूप से असत्य होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां तक कि तत्संबंधी अधिकारों का सवाल है हम उस की सच्चाई पर विचार ही नहीं कर सकते हैं।" स्वानुभूत्यात्मक संतोष ही अन्तिम निर्णय है। भारत का उच्चतम न्यायालय भी उस पर विचार नहीं कर सकता है। स्वानुभूत्यात्मक संतोष का यह सिद्धान्त बहुत ही खतरनाक है और फिर यह शक्ति अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई है जो और भी खतरनाक बात है। ये लगभग ४०० व्यक्ति जो निरुद्ध किये गये हैं क्या कोई बड़ा अपराध करने वाले थे जिस से देश को बड़ा भारी खतरा था इस का संतोष किस ने किया था? तत्संबंधी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट ने।

दिल्ली में एक मिला जुला विवाह होने वाला था उस के सम्बन्ध में इस संसद् के सदस्य श्री वी० जी० देशपांडे को निरुद्ध किया गया था। उस अवसर पर जो आधार बताये गये थे उन में कहा गया था कि वह इस घटना को ले कर साम्प्रदायिक घृणा तथा हिंसा फैलाना चाहते थे। वास्तव में वह उस समय दिल्ली में थे भी नहीं वरन् डा० एन० बी० खरे के चुनाव के सम्बन्ध में ग्वालियर और मध्य भारत का दौरा कर रहे थे। एक दिन वह आये और उन्होंने एक सभा का सभापतित्व किया। इस की जांच करने के लिये एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त की गई थी जिस ने डिप्टी कमिश्नर के बयान लिये और अन्त में इस निर्णय पर पहुंची ऐसा आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं था। जब हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय को भी इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

यह एक आपातकालीन विधान है। स्वयं सरदार पटेल ने जब इस अधिनियम को पुरः स्थापित करने के लिये भाषण दिया था तो अपने पहले वाक्य में ही इस का हवाला देते हुए इसे आपातकालीन विधान ही बताया था। आपातकालीन विधान असाधारण भी होता है, परन्तु ऐसा विधान कभी अनिवार्य नहीं हो सकता है।

उच्च न्यायालयों का भी यही मत है कि निवारक निरोध अधिनियम आपात के समय प्रयोग में लाने के लिये है जब कि देश की रक्षा संकट में हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इस के दुरुपयोग को सहन नहीं किया जा सकता है। फिर भी सरकार कुछ नहीं सुनती है। संसद् के एक सदस्य श्री वी० जी० देशपांडे को दिल्ली में ही जब बन्दी बनाया गया था तब उन्हें फरियाद करने पर दंडाधिकारी ने मुक्त करने से इन्कार कर दिया था। उस के बाद सत्रन्यायाधीश ने उन्हें मुक्त कर दिया। उस समय मैं भी जेल में था। वह बोले कि मैं तो छट गया। इस पर मैंने उन्हें बधाई दी। किन्तु वहां से निकल कर वह बेचारे घर भी नहीं पहुंच पाये थे कि पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया। जब अदालतें किसी को निर्दोष घोषित कर देती हैं तब तो पुलिस को ध्यान देना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुक्त होने के पश्चात् उस व्यक्ति को पुनः बन्दी बनाने से पूर्व कुछ समय दिया जाना चाहिये। मुक्त होते ही वह व्यक्ति देश की शांति को संकट में नहीं डालता है। किन्तु डा० काटजू की पुलिस को इतनी बातें सोचने की फुर्सत कहां है?

डा० काटजू : इस में मुझे क्यों खींचा जा रहा है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : आप ही तो इस अधिनियम के पिता हैं । श्रीमान्, इसे वापस क्यों नहीं ले लेते हैं ?

डा० एन० बी० खरे : नौकरों का इनाम मालिकों को मिल रहा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब देश में कोई आपात नहीं है तब इस अधिनियम को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है ? यह क्यों नहीं कहते कि चुनाव जीतने के लिये और अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिये कांग्रेस इस कुत्सित शस्त्र का प्रयोग कर रही है ? इस अधिनियम के लागू होने पर स्वतन्त्र रूप से चुनाव कभी नहीं हो सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर): राजनैतिक वादे बड़ी गम्भीरता से किये जाते हैं। किन्तु बड़ी चतुराई से तोड़े भी जाते हैं। इस अधिनियम के बारे में भी तीन बार ऐसा हो चुका है ।

निवारक निरोध अधिनियम के आंकड़ों सम्बन्धी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि कि बहुत कम राज्यों को इस की आवश्यकता पड़ी है और आन्ध्र, मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन में इसे सब से कम प्रयोग में लाया गया है जहां कि साम्यवादी दल का अधिक जोर बताया जाता है । इस से स्पष्ट है कि इस की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी यदि सरकार को इस से इतना प्रेम है तो इसे सदा के लिये क्यों पारित नहीं करा लिया जाता है ?

पहली बार सरदार पटेल जैसे महान नेता ने क्षमा प्रार्थना कर के इस विधेयक को पारित करा लिया । दूसरी बार श्री राजगोपालाचार्य जैसे महान नेता ने इसे पारित कराया था । अब तीसरी बार डा० काटजू इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू) : यह भी उतने ही महान हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इस अधिनियम का समय तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जा रहा है । माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिनियम इस समय अनावश्क है एक समय था जब कि कांग्रेस खले आम ऐसे कानूनों का विरोध किया करती थी और आज वह समय है जब कि वही कांग्रेस इस की पैरवी कर रही है । किन्तु उसे याद रखना चाहिये कि यही अधिनियम अगले चुनाव में उस का ऐसा विरोध पैदा करेगा कि कांग्रेस के दांत खट्टे हो जायेंगे ।

यदि इस अधिनियम की कहीं जरूरत मान भी ली जाये तो वह जम्मू और काश्मीर में है किन्तु खेद है कि वहां इसे लागू नहीं किया जायेगा । डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी जब १९५३ में वहां गये थे तब भी उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत यहां बन्दी बनाने में सरकार सफल नहीं हुई थी । इस से चिढ़ कर उन्हें वहां बन्दी बनाया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि उन की लाश ही वहां से लौटी । सरकार को अब तो ऐसे उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिये । यह अधिनियम प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर एक कुठाराघात है ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस अधिनियम को वापस ले लें और कम से कम एक वर्ष तक इस के बिना ही शासन चला कर देखें । फिर यदि उन्हें वास्तव में इस की आवश्यकता जान पड़े तो इसे सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है । मैं तो यहां तक समझता हूं कांग्रेस के अधिकतर सदस्य भी इसे हृदय से नहीं चाहते हैं । उन्हें इस का समर्थन करने को मजबूर किया जा रहा है ।

श्री कैशवैयंगार (बंगलौर उत्तर) : कल से इस विधेयक पर अनेक भाषण सुन

चुकने के बाद मैं उन बातों को दोहराना आवश्यक नहीं समझता हूं जिन के बारे में पहले कहा जा चुका है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने निवारक-निरोध का उपबन्ध बहुत सोच विचार कर किया है जिस का हमें आदर करना चाहिये। यह उपबन्ध समाज-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को दबाने के लिये रखा गया है। विशेष रूप से साम्यवादी दल हमारे देश की शान्ति को सदैव भंग करता रहता है। १९५४ में ही प्रकाशित की गई 'दी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया' नामक पुस्तक से इस दल की सारी गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह पुस्तक श्री एम० आर० मसानी द्वारा लिखी गई है।

इस के अतिरिक्त कुछ वकीलों ने भी इस अधिनियम पर आपत्ति की है। इंटरनेशनल एसोसियेशन आफ डेमोक्रेटिक लायर्स की ओर से अभ्यावेदन आया है जिस की एक शाखा बम्बई में खुल गई है। इसी सम्बन्ध में मैं न्यायाधीश श्री महाजन के मत के बारे में भी यह बताना चाहता हूं कि उन का मत न्यायोचित है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसात्मक आन्दोलन करते हैं वह इस अधिनियम के अन्तर्गत दंड पाने के अधिकारी हैं चाहे वे किसी दल या किसी समुदाय के व्यक्ति हों।

मेरे माननीय मित्र ने जो मैसूर के निवासी हैं इस अधिनियम की बड़ी कटु आलोचना की है किन्तु उन्हें शायद याद नहीं रहा है कि मैसूर में एक भी व्यक्ति इस के अन्तर्गत नहीं पकड़ा गया है। इसी प्रकार श्री गोपालन ने कहा है कि अगले चुनाव में इस अधिनियम के विरोध में नारे लगाये जायेंगे। उन्हें स्मरण रहा होगा कि पिछले चुनाव के समय म भी यह अधिनियम लागू था और चुनाव के जो परिणाम निकले हैं उन्हें भी सब जानते हैं।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि इंगलैंड अमरीका आदि देशों में भी इस प्रकार का अधिनियम नहीं है किन्तु वहां जनसंघ, हिन्दू महासभा आदि जैसे साम्प्रदायिक दल भी तो नहीं हैं। जैसा देश का वातावरण होता है वैसा ही विनियमन करना पड़ता है।

श्री चटर्जी ने इसे विधिहीन अधिनियम बताया है किन्तु वास्तव में यह अधिनियम विधिहीन लोगों को सुधारने के लिये है। यह कहने से काम नहीं चलता कि डाक्टर काटजू की पुलिस अच्छी नहीं है। प्रशासन में जो कमी है उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु जहां तक इस अधिनियम का प्रश्न है, यह नितान्त आवश्यक है।

सरकार इसे किसी दल को दमन करने के लिये पारित नहीं करना चाहती है। इस विषय में वह निष्पक्ष है। सदस्यों को ज्ञात है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दो कांग्रेसियों को भी बन्दी बनाया कया था।

डा० एन० बी० खरे : वह तो एक अपवाद है।

श्री केशवैयंगार : हमारे सामने सारे देश का हित रहता है। हम जानते हैं कि देश में हिंसात्मक प्रवृत्तियां बलवती होती जा रही हैं। अतः यहां किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है और हम इस विधेयक का पूर्णरूपेण समर्थन करते हैं।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : विरोधी पक्ष ने अपने बहुत से भाषणों में बहुत से तर्क उपस्थित किये हैं इन तर्कों का उत्तर देने से पूर्व मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्हों ने निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित बहुत से मामलों से हमें अवगत कराया है। यदि आप इन मामलों की ओर केवल दृष्टिपात ही करें तो उस से ही आप यह जान जायेंगे कि इन सभी मामलों में साम्यवादियों का हाथ था। इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने के कारण ही साम्यवादी

[श्रीमती ए० काले]

नेता ने इस अधिनियम का विरोध किया तथा प्रारम्भ में ही उन्होंने मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन का एक वक्तव्य पढ़ सुनाया। मैं उसी प्रकार का एक वक्तव्य श्री पातंजलि शास्त्री के कथन का उद्धृत करती हूं।

> "हमारे पवित्र अधिकारों तथा वायदों के विरुद्ध जो भयानक विचार चल रहे हैं वे समाज की बुराइयों को दूर करने में बाधक हैं। तथा उन के द्वारा हमारी नवीन स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ सकती है।"

यह वक्तव्य सरकार के कार्य के पक्ष में है। (**अन्तर्बाधायें**)।

एक अन्य सज्जन श्री बसु का कथन है :

> "सामान्यतः निवारक निरोध संविधान के विरुद्ध है तथा जनतंत्रीय विचार धारा के भी विरुद्ध है। किसी भी संविधान में शांति के समय के लिये इस की व्यवस्था नहीं की जाती है। फिर भी हमारे संविधान में ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है क्योंकि हमारे संविधान ने हम को शांति के समय की व्यवस्था ही माना है। संविधान ने इस व्यवस्था को केवल सामाजिक बुराइयों के कारण ही जो नवीन स्वतन्त्रता के लिये खतरनाक है रखा है।"

इस प्रकार व्यक्तियों ने इस का समर्थन किया है। इस के विरोधी वे ही हैं जो स्वयं समाज में बुराई फैलाते हैं तथा इस अधिनियम का हानिकारक बताते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का निर्देश उन के दल के बाहरी सदस्यों से है।

श्रीमती ए० काले : सभी साम्यवादी एक ही प्रकार के हैं केवल उन के अस्त्र-शस्त्र भिन्न भिन्न हैं। उन में से कुछ बच गये तथा संसद् में आ गये। इन के भाई देश में ऐसे ही कार्य करते हैं और निवारक निरोध अधिनियम के लागू किये जाने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर है। जहां कहीं भी हड़तालें होती हैं वह इन्हीं के कारण होती हैं। इसलिये सभ्य व्यक्तियों के समान इस संसद् में आ कर इन व्यक्तियों का सभ्यता निवारक उसी प्रकार की बात है कि चोरी कर के मालिक को चोर ठहराना। इसलिये मैं साम्यवादी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे जनतन्त्रात्मक उद्देश्य में हमें सफल बनाने में सहायता प्रदान करें। वे जनता के नेता बनते हैं तथा जनता में ही अशान्ति फैलाते हैं।

मेरे राज्य में जो कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है। एक कांग्रेसी विधान सभाई को साम्यवादियों ने पकड़ा और उस ने विद्यार्थी आन्दोलन में भाग लिया और वह पकड़ा गया वे सभी ऐसे स्थानों पर अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं जहां के लोग देश की दशा से अवगत नहीं होते हैं, इसलिये मेरा साम्यवादी सदस्यों से नम्र निवेदन है वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर केदेश हित में उस को लगाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) हमने माननीय गृह मंत्री का प्रभावोत्पादक भाषण सुना परन्तु उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस के तीन वर्ष तक लागू रहने के कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

आपने ठीक ही कहा था कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय तर्कों

का अधिक सहारा लिया है जब कि उन्हें इस को तीन वर्ष तक लागू रखे जाने के कारणों पर प्रकाश डालना चाहिये था। उन्होंने तथा उन के समर्थकों ने वाद-विवाद में यही कहा कि यह संविधान के तीसरे भाग में है तथा संविधान निर्माताओं ने इस को एक सामान्य विधान ही समझा था। १९५२ में तथा पिछले वर्ष उन्होंने देश की बरबादी का चित्रण किया था। परन्तु इस वर्ष वह इस को केवल एक सामान्य विधान बता कर ही रह गये हैं। कांग्रेस के लौह-पुरुष सरदार पटेल भी इस प्रकार नहीं कह पाये थे उन्होंने कहा था कि "देश की वर्तमान दशा के कारण राज्य की सुरक्षा के लिये इस की आवश्यकता है"। डा० काटजू उन से भी आगे बढ़ गये हैं। तत्पश्चात् राजा जी ने कहा था कि "इस के द्वारा आपराधिक व्यवस्था का हनन होता है"। उन्होंने प्रारम्भ में कहा था कि मुझे इस का खेद था। डा० काटजू को किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है। वह केवल कहते हैं कि यह एक सीधा सा अधिनियम केवल तीन वर्ष के लिये है। सलाहकार समिति में उन्होंने कहा था कि यह छोटा सा कार्य है तथा एक घंटा इस के लिये पर्याप्त है। पंचवर्षीय योजना सफल हुई है, उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्य समस्या हल हो गई है, साम्यवादी हार गये हैं, यदि ऐसा है तो इस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको उन्हों ने अपराधी बताया परन्तु दुर्भाग्यवश हमारा निर्वाचन हो ही गया।

मैं यह बता देना चाहती हूं कि इस के द्वारा वह राजनैतिक दलों को किस प्रकार कुचलना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप वह कहते हैं कि, "यदि आप ट्रामों, बसों आदि को जलाना चाहते हैं तो आप को अवश्य बन्द कर देना चाहिय।" परन्तु उस के लिये तो विधि की व्यवस्था है। ज्योति बसु को तब पकड़ा गया जब कि अध्यापकों की हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थिति बिल्कुल सुधर गई थी तथा इस का उत्तर मुख्य मंत्री ने यह दिया :

> "श्री ज्योति बसु को शिक्षकों के झगड़े के कारण नहीं पकड़ा गया था बल्कि इस कारण पकड़ा गया था क्योंकि उन का सम्बन्ध ऐसी कार्यवाहियों से था जो शांति स्थापना के प्रतिकूल थीं।"

यदि वे समाज में बुराई फैला रहे थे तो उन को सामान्य विधि के अधीन क्यों नहीं पकड़ा गया। जब शांति स्थापित हो चुकी थी तो आप न्यायालय में उन को पेश कर सकते थे। यह एक मामला है। मैं और भी मामले बताती परन्तु समय की कमी के कारण बता नहीं सकती हूं। फिर भी मैं कुछ और मामले बताऊंगी। पिछले वर्ष मैं ने कुछ मामले बताये थे कि सरकार किस प्रकार अंग्रेजों के हितों का पक्ष ले रही थी उस आरोप के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि ट्रामें, बसें जला दी गई हैं, लूट आदि की गई है। परन्तु मैं बता देना चाहती हूं कि उस समय स्थिति शांतिपूर्ण थी। जहां तक सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने का प्रश्न है मैं बताना चाहती हूं कि ऐसे ही एक अवसर पर श्री मोती लाल नेहरू ने कहा था कि, "कांग्रेस का ध्येय जनता में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना है क्योंकि वह इस सरकार के विरुद्ध हैं।" (**अन्तर्बाधा**)। घेरोस भी अहिंसात्मक आन्दोलन है तथा कांग्रेस का भी वह आन्दोलन अहिंसात्मक था।

नज़रबन्द किये जाने वाले श्री नन्दीकुरु कृष्ण उपाध्याय का भी एक मामला है। उन्हों ने एक संकल्प के विषय में भाषण देते हुए कहा था कि, अखंड कर्नाटक राज्य परिषद्, शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना चाहती है। अब डा० काटजू शांतिपूर्ण सत्याग्रह को

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । प्रत्येक हड़ताल अवैध नहीं होती है तथा अवैध हड़तालों के लिये आप के पास पर्याप्त विधियां हैं । उन को काम में लाने में क्या बाधा है ? शांतिपूर्ण क्षण में भी आप को देश की सुरक्षा के खतरे में पड़ने का भय बना रहता है ।

हमें बार बार बताया जाता है कि हम वैध तरीकों को नहीं अपना रहे हैं परन्तु मैं यह बता देना चाहती हूं कि सरकार प्रत्येक अवैध कार्य को वैध बनाने के लिये अवैध तरीकों को ही अपना रही है । जैसे आप बैंक पंचाट को ही लीजिये । बैंक पंचाट इसी सरकार द्वारा नियुक्त वैध प्राधिकारियों द्वारा किया गया था । हमें बार बार बताया जाता है कि "अवैध हड़ताल मत करो इन झगड़ों को निपटाने के लिये ही हैं । हम ने इस के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त किये हैं" । परन्तु जब न्यायाधिकरण कोई पंचाट देता है तब सरकार उस पंचाट की स्वीकृति नहीं देती है । यदि कर्मचारी अथवा अन्य कोई दल भी ऐसा ही करता है तो उस कार्य को अवैध घोषित कर दिया जाता है । मैं ऐसे कितने ही मामले बता सकती हूं । जिन में श्रमिक तथा किसान इसी प्रकार के पंचाटों की कार्यान्विति के लिये संघर्ष कर रहे थे । क्या आप ने कभी ऐसे व्यक्तियों को जो इन पंचाटों की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या स्वयं अपने वचनों पर आरूढ़ नहीं हैं इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया है ? अभी परसों की ही बात है कि ८ दिसम्बर को कलकत्ता गोदी मजदूरों के नेता सीताराम को पकड़ा गया था क्योंकि मजदूरों ने दो मन से अधिक बोझ को अपने सिरों पर उठाने से इन्कार कर दिया था और ट्रालियों की मांगें की जो कि कई वर्षपूर्व हुए एक समझौते के अनुसार की गई थी । मजदूरों ने ८ घंटे से अधिक कार्य करने से भी इन्कार कर दिया । यह एक शांतिपूर्ण आन्दोलन था तथा वैध था । पत्तन प्रन्यास के सभापति के समझौते के लिये मजदूरों को बुलाया है और समझौता हो जाने की आशा है । इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अवैध कार्य करते हैं उन्हें तो दंड दिया नहीं जाता है परन्तु जो ट्रेड यूनियनों की वैध गतिविधियों में भाग लेते हैं उन पर अत्याचार किये जाते हैं । और इसी के लिये आप ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है ।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी किसान सभा के आठ नेता पकड़े गये । वहां भी लाभांश की मांग की गई थी क्योंकि दो वर्ष से नहीं दिया गया था । यह भी ट्रेड यूनियनों की एक वैध मांग थी । श्रमिकों की एक विशाल सभा ने हड़ताल करने का निश्चय किया । क्या इस प्रकार की हड़ताल अवैध हैं ? मैं जानना चाहती हूं क्या हड़ताल मजदूरों का ऐसा हथियार नहीं है जिस के द्वारा उन्हों ने मांगों को स्वीकार कराया है ?

इसी प्रकार का मामला रेशिम मजदूर संघ बम्बई का ह । वहां श्री प्रहलाद कृष्ण कुराने पर भी यही अभियोग लागाया गया है कि उन्होंने मजदूरों को "धीरे काम करो" करने के लिये उकसाया था । जबकि बम्बई सरकार जानती है कि संघ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट में परिवर्तन किये जाने की मांगें की थी । उस ने "धीरे काम करों" आन्दोलन को नहीं चलाया था । सलाहकार बोर्ड के सभापति श्री वसा वदा ने प्रश्न पूछे थे कि क्या वेतन में बहुत कमी की गई थी तथा यदि की गई थी तो कर्मचारियों को भड़काने के लिये यही कुछ बहुत था । कर्मचारियों के विरुद्ध यह अभियोग था कि उन्होंने हिंसा का सहारा लिया था । अभी तक सरकार हिंसा के एक भी अभियोग को सिद्ध नहीं कर सकी है ।

अंग्रेजी राज्य काल में भी गृह मंत्री श्री क्रेयर ने भी वाक्य प्रयुक्त किये थे जैसे डा०

काटजू ने प्रयुक्त किये हैं तथा इन का उत्तर देते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था :

"मान लीजिये कि हिंसा का प्रयोग किया गया था तो सरकार को हर वैध तरीकों से इस को दबाने का प्रयत्न करना चाहिये था ।" आप साधारण विधि के अधीन सभी कुछ कर सकते हैं और करते रहे हैं । तब आप को इस निवारक निरोध अधिनियम की क्यों आवश्यकता हुई, केवल इसलिये कि आप राजनैतिक दलों को कुचलना चाहते हैं ।

मेरे माननीय मित्रों को १९२८-२९ में उन के ही नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों को पढ़ना चाहिये । मेरे विचार से यदि साम्यवादी दल उन को प्रकाशित करने का कार्य करे तो अति उत्तम हो । पंडित मोती लाल नेहरू ने पूछा था कि अंग्रेजी सरकार ने श्री एम० एन० राय का पत्र उसी समय क्यों प्रस्तुत किया था ? वह एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक कारण था क्योंकि स्वयं संविधान ही खटाई में पड़ा हुआ था । मैं कहती हूं कि आज भी वैसा ही मनोवैज्ञानिक क्षण है । आन्ध्र में चुनाव होने वाले हैं ।

डा० काटजू के अनुसार वह इन विधेयक को इसलिये चाहते हैं क्योंकि जनता को अपराधियों से सुरक्षित रखा जा सके । परन्तु होता यह है कि जो जनता के अधिकारों के लिये आवाज उठाते हैं वही अपराधी समझे जाते हैं । स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र २४ परगना में यदि सरकार के बेदखली कानून के विरुद्ध कोई किसान आवाज उठाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है । ऐसे व्यक्तियों को "अपराधी" घोषित किया जाता है ।

आंकड़े दे कर यह बताया गया है कि राजनैतिक विरोधियों को जेल में नहीं ठूंसा जा रहा है । कहा यही जाता है कि हम अपराधियों और समाज विरोधी व्यक्तियों को ही जेल में बन्द कर रहे हैं । पश्चिमी बंगाल में मुख्य मंत्री ने इस प्रश्न का कि पिछले पांच वर्षों में निवारक निरोध अधिनियम पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम तथा शस्त्रास्त्र अधिनियम के अधीन कितने व्यक्ति जेल में बन्द किये गये यह उत्तर दिया १९४९ व्यक्ति पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अधीन, तथा ९३७ व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल भेजे गये हैं । दूसरा प्रश्न था कि राजनैतिक कारणों से कितने व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है । उत्तर था 'एक भी नहीं' । और इस लिये यह तर्क है कि राजनैतिक दलों के विरुद्ध इस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है परन्तु मैं पूर्ण शक्ति से कह सकती हूं कि यह राजनैतिक दलों को कुचलने के लिये ही व्यवहार में लाया जा रहा है ।

कहा गया है कि कलकत्ता ही एक ऐसा स्थान है जहां हत्यायें, अपहरण आदि अधिक होते हैं । डा० काटजू इस अधिनियम के पक्ष में कलकत्ते से निर्वाचन में खड़े हों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जनता का समर्थन प्राप्त करने में बिल्कुल असफल होंगे ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : श्री चटर्जी ने मेरे विचार से तथ्यों के आधार पर कुछ नहीं कहा है । डाकुओं की बात को ही ले लीजिये । उन्हों ने कहा कि डा० काटजू डाकुओं के बारे में कहते हैं तो क्या अंग्रेजों के काल में डाकू नहीं थे । परन्तु अंग्रेजों ने इन के लिये कुछ भी नहीं किया । आज इतने वर्षों के पश्चात् हम डाकुओं से राजस्थान, मध्य भारत तथा पेप्सू तथा पंजाब में लोहा ले रहे हैं । आज हम पहली बार कह सकते हैं कि गृह मंत्री के प्रयत्नों के कारण ही राजस्थान सरकार डाकुओं के आतंक को कम कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि जब कभी इस पक्ष का कोई सदस्य बोलता है तो उस पक्ष के सदस्य कोई ध्यान नहीं देते परन्तु जब उस पक्ष का कोई सदस्य बोलता है तब पर्याप्त

[उपाध्यक्ष महोदय]

ध्यान रखा जता है । मैं सभा में शांति चाहता हूं तथा प्रत्येक सदस्य को जो कुछ वह कहना चाहता है उसे कहने की मैं अनुमति देता हूं । परन्तु मैं नहीं चाहता कि शांति स्थापना के लिये भी मैं निवारक निरोध जैसे उपायों की सहायता लूं ।

श्री कासलीवाल : पांच वर्ष पहले समूचे राजस्थान में डकैतों का बोल बाला था । सारी जनता उन के नाम से थर थर कांपती थी, परन्तु आज वैसी स्थिति नहीं है । आज वह स्वयं आत्म समर्पण करने जा रहे हैं ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित--अनुसूचित जातियां) : और मान सिंह का क्या हुआ ?

श्री कासलीवाल : वह राजस्थान का नहीं है । मध्य भारत में आज भी डाकुओं का आतंक चारों ओर फैला हुआ है । मेरे मित्र पूछते हैं कि इस का क्या कारण है कि यद्यपि चार राज्यों की पुलिस और केन्द्रीय पुलिस मान सिंह की खोज लगा रही है और फिर भी वह पकड़ाई में नहीं आता है । इस का कारण केवल यही है कि वह कुछ को लूटता है और लूट के माल को गरीबों में बांट देता है इसी लिये वह गांव वाले उस को पनाह देते हैं । यही कारण है कि अब तक नहीं पकड़ा जा सका है ।

श्री वलायुधन : और दिल्ली के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री कासलीवाल : यहां भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो डकैतों को पनाह दिया करते थे, परन्तु इस वर्ष केवल एक ही मामला हुआ हैं । श्री अशोक मेहता ने स्वयं माना है कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम से सफलता मिली है ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में यह आलोचना की गई है कि इसे राजनैतिक दलों को कुचलने के लिये काम में लाया जा रहा है । श्री एन० सी ० चटर्जी ने आंकड़े दे कर बताया कि कर्नाटक में अनेक व्यक्ति इस के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये हैं । परन्तु यदि उन्हों ने सूची के स्तम्भ दो को देखा होता तो उन को ज्ञात हो गया होता कि उन के निरोध के कारण राजनैतिक प्रकार के नहीं हैं, इन को किसी दल विशेष का सदस्य होने के नाते निरुद्ध नहीं किया गया है ।

बम्बई की बात ही लीजिये । वहां हिंसात्मक कार्यवाही करने के अपराध में कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था । उत्तर प्रदेश में निरोध के कारण थे : हिंसा करने की उत्तेजना देना, किसानों में हिंसा का प्रचार करना, शान्ति तथा व्यवस्था के विरुद्ध कार्यवाही करना तथा गुंडागर्दी । पश्चिमी बंगाल में इन को हिंसा का प्रचार करने, गंडागर्दी करने तथा तस्कर-व्यापार करने के कारण निरुद्ध किया गया है । न सभी व्यक्तियों को केवल इसी कारण ही निरुद्ध नहीं किया गया है क्योंकि वह किसी दल विशेष से सम्बन्धित थे । वह अपनी अवैध तथा राज्यविरोधी कार्यवाहियों के लिये पकड़े गये हैं ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में और भी बातें कही गई हैं परन्तु मैं उन को नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं अपने भाषण को केवल डकैतियों के प्रश्न तक सी सीमित रखना चाहता था । मुझे यह कहते प्रसन्नता हो है कि जहां तक विधान के इस पहलू का सम्बन्ध है यह पूर्ण सन्तोषजनक रीति से कार्य कर रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोद मैं यह मानता हूं कि मन्त्री महोदय ने इस कानून के अन्तर्गत हम लोगों के पास जो सूचना भेजी है वह

सूचना इस बात की द्योतक है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से यह कानून चला आ रहा है तब से इस के अन्तर्गत बहुत कम लोग नजरबन्द रखे गये हैं। मैं इस के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मगर मैं जानना चाहूंगा कि क्या देश में स्थिति में सुधार होने पर भी इस कानून को अब रखने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि संविधान में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जब जब इस देश में आपत्ति काल हो, जब जब इस देश में कोई भारी संकट आये तो वह ऐसे कानून बनाये जिन कानूनों के अनुसार उन लोगों को जो विधान के खिलाफ या राज्य के खिलाफ काम करते हैं उन को बिना ट्रायल के नजरबन्द कर दिया जाये। मैं इस अधिकार को मानता हूं लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम ऐसा कानून बना सकते हैं जिस के जरिये हम ऐसे व्यक्तियों को जो देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ काम करते हों बिना मुकद्दमे चलाये जेल में बन्द कर सकते हैं हमें इस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। जिस समय सरदार पटेल ने इस सदन में इस बिल को रखा था हमारे मित्र जो उस समय यहां थे जानते हैं कि उन की पलकों में आंसू थे और उन को कई रात नींद नहीं आई थी। उस वक्त उन्हों ने यह भी कहा था कि वह इसे सिर्फ एक साल के लिये ही लाना चाहते हैं। उस वक्त इस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत गम्भीर थी। यह बात सच है कि उस समय लोग अपने हाथों में बम, पिस्तौल, एसिड इत्यादि ले कर चलते थे। उस समय सरकार के सामने बड़ी कठिनाइयां थीं। ला एंड आर्डर की पोजीशन बड़ी खराब थी। देश में खाद्य समस्या थी, कपड़े की कमी थी और इन सब समस्याओं को हल करने के लिये सरकार के हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी था और ऐसे कानन की आवश्यकता भी थी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इस जनतन्त्र को बने हुए सात आठ साल हो गये हैं और देश की स्थिति भी सुधर गई है। आज हम ने खाद्य समस्या का समाधान कर लिया है। आज देश में कपड़े की समस्या नहीं है और मुझे खुशी होती है मंत्री महोदय से यह सुन कर कि अब हम इतने हजार गज कपड़ा विदेशों को भेजने के काबिल हो गये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के अधीन हम ने काफी प्रगति की है। आज देश में शांति है। लोग कलकत्ता जैसे शहरों में जहां वें पहले बम, पिस्तौल इत्यादि हाथ में ले कर चला करते थे अब नहीं चलते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ बन चुकी है। इन सब कामयाबियों के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। गृह मंत्री यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उन्होंने एन्टी-सोशल एलीमेंट्स पर काबू पा लिया है यह बहुत अच्छी चीज है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज इस बात की आवश्यकता है कि हम इस कानन को और एक साल के लिये नहीं बल्कि तीन साल के लिये जारी रखें? मैं समझता हूं कि यह देखते हुए कि देश ने कितनी प्रगति की है, कितनी उन्नति की है और कितने आगे बढ़ा है इस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र श्री कासलीवाल ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में डाकुओं की भरमार है। मैं भी राजस्थान अपने बन्धुओं के साथ गया था और मुझे मालूम है कि वहां दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं और वहां के आदमियों का जीवन खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार के पास साधारण कानून नहीं है जिस को कि वह इन डाकुओं के खिलाफ इस्तैमाल कर सके। हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और मैं समझता हूं कि यह काफी है लेकिन अगर सरकार समझती है कि यह काफी नहीं है तो उस को उस में सुधार करने चाहियें। गुंडा एक्ट बनाना चाहिये जिस के जरिये उन लोगों को जो हमारे देश ने शांति और सुरक्षा

[श्री भागवत झा आजाद]

को खतरा पैदा करते हैं, इस कानून के अन्दर लाया जा सके। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है अगर आप उस की फिगर्स को देखें तो पता लगेगा कि अधिकतर इस कानून का प्रयोग ऐसे आदमियों के खिलाफ किया गया है जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और डा० काटजू ने भी यही कहा है कि हम इस को किसी पोलीटिकल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। आप ने अपने स्टेटमेंट में यह पढ़ कर बताया है कि आप ने १०४ व्यक्तियों को वायलेंट एक्टिविटीज में गिरफ्तार किया। आप ने यह नहीं बतलाया कि यह वायलेंट एक्टिविटीज करने वाले किस पार्टी के थे। अगर यह वाइलेंस करने वाली पोलीटिकल पार्टियां हैं तो मैं समझता हूं कि जो हमारे देश का साधारण कानून है उस के अन्दर आप उन को बन्द कर सकते हैं। गुंडों को आप साधारण कानून में नजरबन्द करें। आप ने कहा कि इस कानून का उपयोग उन लोगों के खिलाफ किया गया जो कि डकैतों को हार्बर करते हैं। जो आप ने २६१ की संख्या बतलाई है उन में से सब को आप साधारण कानून के अन्दर सजा दे सकते हैं। अगर देश का साधारण कानून इतना मजबूत नहीं है, अगर देश का कानून इस लायक नहीं है कि हम ऐसे गुंडों को, बदमाशों को, शान्ति और सुरक्षा को भंग करने वालों को सजा दे सकें तो आवश्यकता इस बात की है कि आपने जो कानून पास किया है उस में सुधार करें। अगर आप का साधारण कानून गुंडों को दबाने के लिये काफी नहीं है तो आप पार्लियामेंट के सामने आइये और कहिये कि हम को गुंडों को दबाने के लिये ताकत चाहिये, तो हम बिना किसी चूं चपड़ के आप को वह अधिकार देंगे। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को गुंडों के नाम पर कायम रखा जाय। मेरे पास इस के लिये एक और दलील है। आप ने जो संख्या दी है अगर उस पर विश्वास किया जाये, और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि सरकार ने इस कानून का बहुत ही कम उपयोग किया है, राज्य सरकारों ने इस का बहुत कम उपयोग किया है, और अगर इस का प्रयोग हुआ भी है तो ऐसे आदमियों के लिये जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या जो डकैत हैं। यह आप के फिगर बतलाते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ऐसे कानून को जिस को हमारे मित्र कहते हैं कि एक गणतन्त्र के लिये शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है, क्यों बढ़ाया जाय, और क्यों न हम एक विशेष क्रिमिनल ऐक्ट बनाये जिस के अनसार हम इन मनुष्यों को सजा दे सकें ? इसलिये जो संख्या आप ने हमारे सामने पेश की है, उस को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि हम इस कानून को तीन साल के लिये बढ़ायें।

जिस समय यह कानून बनाया गया था उस समय हमारी इच्छा क्या थी ? हमारी इच्छा यह थी गणतन्त्र में विश्वास करने वाली जितनी पार्टियां हैं चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जो गणतन्त्र में विश्वास करती है, उन सब का एक मोर्चा बनायें और उस के द्वारा उन दलों से लड़े, इस देश की शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिये जो कि गणतन्त्र में विश्वास नहीं रखती हैं। इस लिये हम ने यह कानून बनाया था। इस कानून के बनने के बाद हम ने देखा कि एक मोर्चा बना और कांग्रेस पार्टी ने उन पार्टियों का जो वायलेंस में विश्वास करती हैं उतना ही विरोध किया जितना कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने। उस मोर्चे के बनने के बाद आज देश में शान्ति है न केवल राजनीतिक मोर्चे पर, बल्कि

आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी । ऐसी अवस्था में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक है कि हम इस कानून को अपने स्टेट्यूट बूक पर तीन बार के लिए और रखें । हमारे प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के नेता कृपालानी जी ने कहा है और और लोगों ने भी इस बात को कहा है कि हमारी वैदेशिक नीति ने संसार में एक स्थान प्राप्त कर लिया है । हम आप की हर बात को मानते हैं । हम इस बात को मानते हैं कि आप की वैदेशिक नीति ने संसार म देश के लिये एक स्थान प्राप्त कर लिया है, हम मानते हैं कि हमारी खाद्य समस्या बहुत हद तक हल हो गयी है, हम मानते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी आप ने कार्य किया है, और आप ने स्पेशल मैरिज ऐक्ट पास किया है और हिन्दू मैरिज एंड डाइवोर्स बिल पास करने वाले हैं । हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस गर्वनमेंट ने हर स्तर पर कार्य किया है उस ने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, स्थिरता कायम की है, और इस प्रकार जनता की अपने प्रति आस्था पैदा की है । ऐसी परिस्थिति में जब कि देश में कोई इमरजेंसी नहीं है तो फिर ऐसे कानून बनाने की क्या आवश्यकता है ?

इस कानून का सब से अधिक विरोध कम्युनिस्ट पार्टी का हवाला दे कर किया गया है और हमारे जो भी मित्र उनके खिलाफ बोले हैं उन्हों ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंसा में विश्वास करती है और गणतन्त्र में विश्वास नहीं करती है । और इसलिये यह कहा जाता है कि इस कानून को रखा जाना चाहिये । मैं जानता हूं कि सन् ५० में जब यह कानून बनाया गया था तो उस समय एक हाई कोर्ट कन्नम की एक नोक से बहुत से कम्युनिस्टों को छोड़ने वाली थी । उस समय एसिड की बोतल और बम फेंके जा ते थे । उस समय कम्युनिस्ट एक जेब में किर्च और दूसरी में रिवालवर लिये घूमते थे । उस समय हम को इस तरह के कानून की आवश्यकता थी । लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा देश यह समझता है कि हम उन देशों को भी जो गणतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं साथ ले कर चलें, तो ऐसी अवस्था में मैं पूछता हूं कि यह कहां तक ठीक होगा कि एक ओर तो हम को-एग्जिस्टेंस का समर्थन करें और दूसरी ओर इस प्रकार का कानून बनायें । इन दोनों चीजों में समता नहीं दिखायी देती है । मुझे विश्वास है कि कम्युनिस्टों ने अपने हिंसा के तरीकों में विश्वास को छोड़ा नहीं है । मैं जानता हूं कि वे कभी नहीं कहते कि हम अहिंसक हैं । लेकिन वह कहते हैं कि हम विधान के अनुसार पार्लियामेंट में आये हैं और विधान के अनुसार ही अपना ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी पद्धति नहीं बदली है और वे अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, और कहते हैं कि यह पूंजीपतियों की सरकार है और इस को हम उलटना चाहते हैं । लेकिन अगर वे इस सरकार को उलटने के लिये वायलेंट मीन्स अख्तियार करें तो आप तीन दिन के अन्दर इमरजेंट पार्लियामेंट बुला सकते हैं और यह अधिकार ले सकते हैं । लेकिन जब तक इस प्रकार की कोई इमरजैंसी न हो तब तक इस की क्या आवश्यकता है । आज तो वे लोग यह करते हैं कि विद्यार्थियों में जाते हैं फैक्टरियों में जाते हैं और वहां अपना प्रचार करते हैं । तो आप अगर उन का मुकाबला करना चाहते हैं तो आप को भी वैसा ही मोर्चा बनाना होगा, आप को भी फैक्टरियों में और विद्यार्थियों में जाना होगा, और जो टेक्टिक्स वह काम में ला रहे हैं उन्हीं से उन का मुकाबला करना होगा । लेकिन अगर आप ने केवल उन की पुरानी टैक्टिक्स को याद रखा और इस तरह के कानून बनाये तो विश्वास रखिये कि उस से कोई असर होने वाला नहीं है । इसलिये मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या आज

[श्री भागवत झा आज़ाद]

देश में शांति है ? क्या आज देश में खाद्य समस्या का प्रश्न हल नहीं हो गया है ? क्या आज देश की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है ? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो गयी है ? अगर इन प्रश्नों का उत्तर "हां" है तो इस कानून की क्या आवश्यकता है ? अगर उत्तर "नहीं" है तो यह कानून सफल नहीं हुआ है । अस्तु, किसी प्रकार से भी मेरी दृष्टि में इस कानून की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है ।

डा० एन० बी० खरे : उपसभापति जी, मैं कानूनदां नहीं हूं । मैं एक लेमैन हूं और लेमैन की हैसियत में ही मैं बात करूंगा । हां यह जरूर है कि अगर ले मैन के रस में थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया जाय तो जरा लजीज हो जाता है ।

यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल है मैं इस को प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल नहीं मानता बल्कि मैं इस को कांग्रेस प्रोटैक्शन बिल मानता हूं क्योंकि इस कानून की अवधि बढ़ाने की इच्छा हमारे माननीय मेजर डोमो साहब कर रहे हैं । और केवल उन की ही इच्छा अवधि बढ़ाने की नहीं है । यह कानून कांग्रेस प्रोटैक्शन कानून होने से वह चाहते हैं कि यह हमेशा कायम रहे । वह चाहते हैं कि इस काले कानून को हमारे कानून की किताब में कायम मुकाम कर दिया जाय । यह उन का पुख्ता इरादा है । यह बात उन की परसों की स्पीच से भी साफ जाहिर है । इसलिये मैं कहता हूं कि वे अवधि बढ़ाने का ढकोसला क्यों करते हैं ? यह पुराना तरइयुल है । उन का इरादा इस कानून को पक्का बनाने का है और मैं समझता हूं कि उन को ऐसा नहीं करना चाहिये । अगर वह दावा करते हैं कि हम जनता के सेवक और रक्षक हैं तो उन को जनता का भक्षक और तक्षक होने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । ऐसी मेरी उन के प्रति नम्र विनती है ।

अगर मेरा सरीखा गृह मंत्री होता तो वह कभी भी ऐसा कानून न लाता । अगर हम बागबां होते तो गुलशन को लुटा देते । हम जनता की सिविल लिबर्टी का गला कभी न घोटते । लेकिन क्या किया जाय, सब लोग जिन्दा दिल नहीं होते, कुछ मुर्दा दिल भी होते हैं । अगर कोई मुर्दा दिल है तो उस का कोई इलाज नहीं है । शंकर शम्भो कैलाश नाथ, मैं जानता हूं कि तुम श्मशान में रहते हो, इसीलिये तुम को मैं ने मुर्दा दिल कहा है ।

[**श्रीमती खोंगमैन** पीठासीन हुईं]

तुम श्मशान में रहते हो और तुम को चिता भस्म का बड़ा शौक है । तुम को अपने शरीर में चिता की भस्म लगाने को चाहिये । अस्तु तुम नागरिक स्वतन्त्रता का गला घोटो, उस की चिता जला ओ और उस की भस्म से अपने अंग विलिप्त कर दो । तुम्हें ऐसा करने का अख्तियार है । लेकिन याद रखो कि जब उस भस्म से भस्मासुर पैदा हो जायगा तो फिर तुम को नारायण की शरण लेनी पड़ेगी और तुम को नारायण ही बचायेगा । अब शंकर अगर न माने तो क्या किया जाय । कोई इलाज नहीं है । इस की वजह क्या है ? बहुत सी दलीलें हाउस की मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से पेश की गई हैं । कई कांग्रेस वाले भी तो इस के खिलाफ बोलें हैं और कई पक्ष में बोले हैं । अभी एक हमारे मित्र पक्ष में बोले और इधर की तरफ से दो तीन हमारे मित्र लोग इस के खिलाफ बोले । बोलने वालों में से एक हमारे मित्र श्री लिंगम थे । शायद उन्हों ने यह महसूस कर लिया कि इस विधेयक के जारी रखने की उन की दलील कमजोर है और नाकाबिल है इसलिये उन्हों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिये, जोर लाने के लिये

ब्रिलट्ज में से कुछ पुष्टिमोदक तत्व उधार लिया और उस का उपयोग कर के अपने में ताकत बढ़ाली, ऐसा आदमी किसी काम का नहीं है। एक दूसरे कांग्रेसी सज्जन बोले "मुझे इस से घृणा है", खूब। ऐसा मैं समझा और खुश हुआ लेकिन तुरन्त ही उन्हों ने कह दिया किन्तु 'मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।' कैसी भयंकर नीति है। उस नीति को देख कर मेरे सरीखे ईमानदार आदमी के दिल में आश्चर्य, क्रोध, दुख, क्लेश, करुणा और दया यह सब भाव पैदा होते हैं। क्या नीति है आप की, आप की नीति तो ऐसी ही है कि जैसे कि सुहाग का टीका तो भाल प्रदेश में लगायें रामप्रसाद के नाम से मगर घर में रहेंगे हमेशा यूसुफ शरीफ के। मैं उन से विनती करूंगा कि आप को ऐसी नीति छोड़ देनी चाहिये। हमारे मित्र जो इस विधेयक के पक्ष में बोले उन्हों ने हमारे सरीखे लोगों को जो इस बिल का विरोध करते हैं कीड़े मकौड़े कहा, चूहे वगैरह बनाया, वाह वाह क्या भाषा है उन की। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वह हम लोगों को चूहा कहते हैं तो हमें भी उन की टरमाइट कहने का अख्तियार है। धीरे धीरे कर के वह डेमोक्रेसी को निर्बल करने वाले लोग हैं और उन के नेता लोग व्हाइट एलीफैंट हैं, डेमोक्रेसी को कुचले डालते हैं यह व्हाइट आंट्स हमारी डेमोक्रेसी को घुन लगा रहे हैं। धीरे धीरे निगल निगल कर खाये चले जा रहे हैं जैसे कपड़ों को या कागज को दीमक लग जाय तो सब चाट जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि वे लोग दीमक राशि हैं। बहुत सी दीमकें डेमोक्रेसी को निगल रही हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): यह शब्द, सर्वथा संसदोचित हैं।

डा० एन० बी० खरे: जी हां, चूहों, और कीड़े मकोड़ों की तुलना में यह कहीं संसदोचित हैं, अलंकार है, सत्य नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे: अरसिकेषु कवित्व निवेदनं

शिरसिमालिख मालिख मालिख।

डा० एन० बी० खरे: एक शख्स ने यह भी कहा और हमारे लिंगम जी ने भी हमें यह चुनौती दी है कि इस बिल की बिना पर हम उन से चुनाव लड़ें। उन का चुनाव का चैलेंज हमें स्वीकार्य है और हम उस को लड़ेंगे लेकिन चुनाव कैसा होता है यह देख कर मुझे एक कविता याद आ गई जो मैं आप को सुनाये देता हूं।

बिछी है इश्क की चौसर, लगी है नाम की बाज़ी।
पड़े हैं ज़ख्म के पांसे, सनम जाने कि हम जानें।

इश्क और चुनाव दोनों यकसां हैं। इश्क की जगह चुनाव तबदील कर दें तो यह कविता बड़ी मजेदार और फिट बैठती है। नाम की बाजी है और जख्म के पांसे हैं और वह पांसे वही हैं जिन का महाभारत में शकुनी मामा ने पांडवों को हराने के लिये इस्तेमाल किया था, आज के पांसे भी वैसे ही कपटी हैं जैसे शकुनी मामा के थे और इस लोडेड डाइस का सबूत अभी परसों मिला जब सुप्रीम कोर्ट में श्री कामथ की चुनाव याचिका पर न्यायालय ने कांग्रेसी उम्मीदवार का चुनाव अवैध ठहरा दिया और यह फैसला दिया कि यह लोडेड डाइस थी। मैं कहता हूं कि ऐसा फरेबी चैलेंज देने से क्या फायदा लेकिन तो भी घबड़ाओ मत, हम तुम्हारे साथ यह चौसर इलैक्शन की खेलेंगे और खूब खेलेंगे। यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट बनाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों बनाया गया है और मजा यह है कि इस को अभी और आगे जारी रखा जा रहा है। इन के पास तो आगे से ही कानूनों का एक जंगल सा पड़ा है और कोई भी कानून का इस्तेमाल कर के वे वह सब बातें जो वह बंद करना चाहते हैं, करा सकते हैं, इस कानन की क्या जरूरत है और आगे के लिये

[डा० एन० बी० खरे]

इस को क्यों कायम रखा जाय लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा जब इस की मियाद खत्म होने को होती है तो इस की अवधि बढ़ाने की चेष्टा होती है और मालूम होता है कि इस की अवधि कभी खत्म न होगी। यह अवधि बढ़ाने की चेष्टा ऐसे ही बढ़ती जायेगी जैसे कि पुराणों में हनुमान की दुम का वर्णन आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा यह प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट कलकत्ता में जहां पर एक पैसा ट्राम का किराया बढ़ाने के फलस्वरूप हड़ताल हुई थी वहां पर कामयाब हुआ, मैं कहूंगा कि नहीं कामयाब हुआ। इन्दौर में जहा हाईकोर्ट जलाया गया वहां पर तुम्हारा यह कानून कामयाब हुआ, नहीं हुआ। ऐसे मैं सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिन से सिद्ध हो जायेगा कि तुम्हारा यह ऐक्ट कामयाब नहीं हुआ और जब ऐसी हालत है तब काहे को तुम इस को जारी रखना चाहते हो, इस को छोड़ दो, इस को मत लाओ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): स्पीच खत्म कर दी ?

डा० एन० बी० खरे: बस थोड़ा सा और कहना बाकी है। इस कानून को जारी रखने से उन का उद्देश्य है कि विरोधी दल को कुचलना, हालांकि वे यह कहते हैं कि हमारा ऐसा विचार नहीं है लेकिन मतलब उस का हां ही होता है। काली करतूत वाला कभी हां नहीं कहेगा, नहीं, नहीं ही कहता जायेगा। लेकिन उस की नहीं को हां मानना चाहिये और इस के पक्ष में श्री चटर्जी ने कई एक उदाहरण दिये हैं। मैं इस के डिटेल में नहीं जाना चाहता। खाली एक ही बात कहना चाहता हूं। सन् १९५२ में मंदसौर में एक चुनाव में मध्य भारत में एक कांग्रेसी से हमारे उम्मीदवार की टक्कर थी और उस चुनाव में हमारा केंडीडेट जीत गया और कांग्रेसी उम्मीदवार को पछाड़ दिया। फिर उस का इलैक्शन सेट एसाइड हो गया। दूसरा उप चुनाव उसी इलाके में कराया गया। उस मौके पर हमारे मध्य भारत के हिन्दू सभा के कार्यकर्ता श्री ब्रिजेश वहां गये और उन के व्याख्यान हुए और दुबारा फिर कांग्रेस हार गई और इस हार से ऐसी मिर्च नाक में लगी कि ब्रिजेश जी को उन भाषणों के वास्ते कारावास में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में पकड़ कर डाल दिया गया और क्या सबूत चाहिये कि इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिये होता है। जब ब्रिजेश जी के बारे में कोर्ट में ऐप्लीकेशन देने की चर्चा चली तो चुप चाप मध्य भारत गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ दिया, ऐसे तो ये फरेबी हैं। मध्य भारत में कहा गया है कि वहां पर डकैतों ने बहुत आतंक मचा रखा है, पेपर में आया है कि एक डकैत पकड़ा भी गया है, डाकुओं की वजह से जनता बड़ी परेशान है। उस ने बयान दिया है कि हम डकैतों के हामी और शैल्टर देने वाले कांग्रेस वाले हैं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): यह गलत है कि कांग्रेस वाले डाकुओं को पनाह देते हैं।

डा० एन० बी० खरे: पेपर में ऐसा आया है, इस से तो आप इंकार नहीं कर सकते।

श्री राधेलाल व्यास: कंट्रैडिक्शन आ गया है।

डा० एन० बी० खरे: अगर ऐसे डकैतों का कांग्रेस वालों से लगाव हो गया तो फिर कहना ही क्या, अल्ला अल्ला खैर सल्ला। इस वास्ते यह नहीं करना चाहिये। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी देश में जो अपने को लोकतन्त्रवादी कहता है ऐसा कानून नहीं है। रूस में भी नहीं है। काटजू साहब जवाब दें कि यहां क्यों होना चाहिये।

यह कानून किस वास्ते लगाया जाता है ? अपने विरोधी दलों को कुचलने के वास्ते । जो अपनी आइडिआलोजी है उस के खिलाफ जिन की आइडिआलोजी है उन को कुचलने के वास्ते, चाहे कोई भी हो । मैं इस का उदाहरण देता हूं । हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर पूरी तौर से भारत में विलीन होना चाहिये । कांग्रेस सरकार यह नहीं चाहती । जब हम लोगों ने ऐजिटेशन किया तो हम लोगों को दबाने के वास्ते इस कानून का प्रयोग किया गया हम लोग जो देश को युनाइट करना चाहते हैं । उन को दबाया जाता है और जो लोग चाहते हैं कि देश डिवाइडेड रहे, उन की तरक्की होती है, वह लोग चैन करते हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि यह सब की मांग है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है । बहुत से कांग्रेस वालों की भी यह मांग है, लेकिन कांग्रेस सरकार की नहीं है । देश को अखंड करने की मांग सब की है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १४ या १७ जुलाई, १९४७ के दिन ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में कांग्रेस ने जब 'डिवीजन आफ इंडिया इन हिन्दुस्तान एंड पाकिस्तान' का प्रस्ताव पास किया तो उस प्रस्ताव में दुःख और खेद प्रकट किया गया था कि हिन्दुस्तान की तकसीम मंजूर करनी पड़ रही है । साथ ही यह भी कहा गया था कि यह देश एक है और कभी न कभी एक हो कर रहेगा । यह कांग्रेस का प्रस्ताव था । मैं चैलेन्ज करता हूं कि कोई यहां पर कहे कि यह बात झूठ है । हम लोग जो इस प्रस्ताव की बात को पूरा करना चाहते हैं उन को इस कानून के अन्दर दबाया जाता है और कांग्रेसी जिन्हों ने इस प्रस्ताव को पास किया था और अब उस की बात को नहीं उठाना चाहते हैं वह मजे करते हैं । आज कल हालत ऐसी है; लेकिन यह बहुत दिन चलेगी नहीं, इस को याद रक्खा जाय । आखिर कभी तो जनता की आंख खुलेगी ही । जो लोग गो हत्या का विरोध करते हैं जैसे कृपात्री जी और प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, वह पकड़े जाते हैं । गो हत्या बन्द करने की मांग आज सारे देश की है, लेकिन किसी भय से या किसी भी वजह से सरकार इस को नहीं करना चाहती है । इन सब बातों से साबित होता है कि कांग्रेस विरोधियों के लिये यह कानून है । लेकिन इस तरह से बहुत दिन नहीं चलेगा । आखिर रावण राज्य बहुत दिन तो नहीं चल सकता । किसी एक शख्स ने मदुराई में राम की मिसाल दी, राम जी की खिल्ली उड़ाने के वास्ते नाटक रचा जाता है । तारीफ की बात है कि जो लोग राम का उपहास करने के लिये नाटक रचते हैं वह मजे उड़ाते हैं और जो हमारे हिन्दू सभाई इस का विरोध करते हैं उन को गिरफ्तार किया जाता है । उन पर लाठी चार्ज किया जाता है । वाह वा, माशा अल्लाह । कहा जाता है कि सिवा इस के कोई और इलाज नहीं है । यह शब्द सुन कर मुझे एक मराठी नाटक के गाने की याद आती है : वह ऐसे है :

"राजा लुटी जरी प्रजा जनाला ।
माता मारी जारी निज बालाला ।
बन्धु बिकी जरी निज भगिनीला ।।
शरण कुणा जाव ?

इस का मतलब यह है कि अगर राजा अपनी प्रजा को लूटता है, रुपया पैसा लूटता है यह नहीं, लिबर्टी लूटता है, माता अपने बालक को मारती है और बन्धु अपनी भगिनी को बेचता है तो किस की शरण जाऊं ? एक ही की शरण जा सकता हूं । या तो ईश्वर की शरण में या फिर परमात्मा स्वरूप जनता जनार्दन । जनता भी तो परमात्मा का ही रूप है, उस की शरण में जायेंगे । एक न एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब यह कानून हट कर रहेगा । और इस को बनाने वाले नजरबन्द दिखाई पड़ेंगे ।

हम भी देखेंगे तड़पने का तमाशा तेरा ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जो चर्चा होती रही है उस में विचार के लिये तीन बातें पैदा होती हैं। विरोधी पक्ष के कतिपय सदस्यों ने जो कटु वाक्यातुर्य दिखाया है मैं उस का उत्तर नहीं दे रहा हूं, परन्तु मैं केवल वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं और इस प्रयोजन के लिये मैं सभा के समक्ष तीन प्रश्न रखना चाहता हूं और मैं यथासंभव ध्यानपूर्वक उन का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

पहला प्रश्न यह है कि क्या हम ने इस अधिनियम को आगे तीन वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाने के हेतु युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत किया है : दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गत तीन या चार वर्ष में इस अधिनियम का ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया है या इसका दुरुपयोग किया गया है या इस को आवश्यकता से अधिक प्रयोग में लाया गया है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई प्रत्याभूति है कि इस अधिनियम का ठीक प्रकार से प्रयोग किया जायेगा या इसे लोगों की वैद्य स्वतन्त्रताओं को कम करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। ये वे तीन प्रश्न हैं जिन पर यथासंभव निष्पक्ष भाव से और यथार्थ रूप में विचार करना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वे इस बात का भी उत्तर देंगे कि कैसा आपात है अर्थात् तुरन्त आपात काल कैसे पैदा हो गया है ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न का उत्तर परोक्ष रूप में दूंगा, क्योंकि "आपात" शब्द के अलग अलग अर्थ लिये गये हैं और मैं बताऊंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में इस अधिनियम का आगे तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविधि पुस्तक में रखने की क्या आवश्यकता है ।

मैं आवश्यकता के प्रश्न को पहले लूंगा। कुछ मिनटों में मैं कतिपय आंकड़े आप के समक्ष रखूंगा। इस सभा के सब माननीय सदस्यों को जो पुस्तिका दी गई है उस में उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है, परन्तु हमें कतिपय परिस्थितियों को समझना है और उन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के आधार पर हमें इस अधिनियम के उपबन्धों को आगे तीन वर्ष तक बढ़ाने की सरकार की आकांक्षा को समझना है और अनुभव करना है ।

सर्व प्रथम आप यह ध्यान रखें कि भारत के सब राज्य जिन्हें अन्ततः इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना है, इस बात के लिये एकमत से सहमत हैं कि यह अधिनियम अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिये लागू रहना चाहिये यद्यपि यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस अधिनियम को अत्याधिक नर्म अथवा नम्र ढ़ंग से प्रयोग में लाया गया है ।

अस्तु, वे क्या कारण हैं और इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में लाने की ही क्या आवश्यकता है ? इस सम्बन्ध में हम प्रायः उन विभिन्न स्वतन्त्रताओं, मूल स्वतन्त्रताओं की बात करते हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, परन्तु हमें यह समझना है कि भारत की भूमि में लोकतन्त्र की शैशवावस्था में पालना है और ऐसे लोकतन्त्र को पालने के लिये आप को वह सब ध्यान रखना होगा जो एक छोटे पौधे के लिये आवयश्क होता है। किसी सैद्धान्तिक विचार से नहीं अपितु इसी कारण से संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि संसद् की इच्छा हो, तो वह निवारक निरोध अधिनियम बना सकती है ।

आप देखेंगे कि संविधान के लागू होने के पश्चात् एक या दो मास में ही तत्कालीन सरकार और उस समय के गृह मंत्री की रात की नींद हराम हो गयी थी जैसा उन्हों ने इस सभा में ही स्वयं कहा था, और उन्हें

बहुत अनिच्छा से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा था कि संविधान के अधीन लोगों को दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिये ऐसे एक अधिनियम की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात कहना सर्वथा ठीक है परन्तु सब प्रकार के कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है अर्थात् स्वतन्त्रता की रक्षा करनी होती है और देश की सुरक्षा भी करनी होती है। और इन कारणों से यह अधिनियम १९५० में पहली बार इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था। अब मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उस समय विशेष परिस्थिति क्या थी और क्या अब कम से कम कुछ सीमा तक वही परिस्थिति है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा अभी उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है संविधान में 'आपात' शब्द का भिन्न प्रसंग में प्रयोग किया गया है।

उदाहरणतः जब सामान्य अशान्ति फैली हुई हो अथवा विदेशी आक्रमण का भय हो तब आपातकालीन परिस्थितियों से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू करना होता है। परन्तु इन बातों के अतिरिक्त अथवा इन पर ध्यान न देते हुए यह विश्वास करना बहुत संभाव्य है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और भारत की परिस्थिति में कतिपय ऐसी बातें हो सकती हैं जिन से कुछ समय के लिये स्वतन्त्रताओं में युक्तिसंगत कमी करने की आवश्यकता हो जाये, परन्तु स्वतन्त्रताओं में अनुचित कमी नहीं होनी चाहिये। इसी कारण से १९५०, १९५१, १९५२ या १९५४ में सरकार ने कुछ सीमित काल के लिये अथवा एक या दो वर्ष के लिये या इस बार तीन वर्ष के लिये इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में रखने की मांग की है।

क्या सरकार या सरकारें इस अधिनियम के उपबन्धों को हटा सकती हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें शान्तिपूर्वक और निष्पक्ष भाव से विचार करना है, क्योंकि अन्ततः लोकतन्त्र की सफलता का सारा ढांचा शान्तिपूर्ण और वैध परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

किन्तु यदि दुर्भाग्यवश लोगों के कुछ ऐसे दल हैं जो अहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते और जो कुछ शर्तों के बिना संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्त को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करते, तब सरकार को क्या करना चाहिये ? जब तक ऐसे कुछ दल हैं जिन्हों ने हिंसा की शपथ ले रखी है, कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से शपथ ले रखी है—खुले तौर पर वे ऐसा नहीं कहेंगे, वे संसदीय लोकतन्त्र को थोड़े समय के लिय केवल प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करेंगे—तब इन परिस्थितियों के अधीन हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि इन कार्यों को रोकने के लिये हमारे पास अधिनियम हों। वे कार्य क्या हैं ? यदि कोई अपराध करे तो आपराधिक विधियों के अधीन सरकार के पास कतिपय अधिकार होते हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराओं के अधीन भी सरकार के पास कतिपय निवारक अधिकार हैं। परन्तु कुछ लोग और संस्थायें ऐसी हैं जिन्हें चोरी छिपे और गुप्त रूप से कार्य करने में स्वभावतः हर्ष होता है। यदि आप इन आन्दोलनों को पीछे से चलाने वाले लोगों को न पकड़ सकें तो परिस्थिति पर प्रभावपूर्ण रोक लगाना और विधि तथा व्यवस्था रखना संभव नहीं। सरकार को केवल ऐसी सन्थाओं और ऐसे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमें पता है कि ऐसी सन्थायें गुप्त बैठकों में संकल्प पारित करती हैं। वे भारत की स्थिति का दुरुपयोग करना चाहते हैं, जहां तक कार्यों का सम्बन्ध है वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह ऐसे लोगों को पकड़ सके जो

[श्री दातार]

वस्तुतः हिंसापूर्ण कार्यों के लिये लोगों को उकसाते हैं या जो ऐसे आन्दोलनों को पीछे से चलाने वाले लोग हैं। विधि—साधारण विधि—जैसी वह है, उस से सरकार साधारण ढंग से इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर के विधि तथा व्यवस्था नहीं रख सकती। केवल ऐसे लोगों के लिये सरकार कतिपय ऐसे अधिकार चाहती है जिन का उस ने यथा-संभव कम से कम प्रयोग किया है।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं .....

श्री दातार : कृपया बैठ जाइये। मेरे सामने कवि महोदय हैं यदि इसे काव्यपूर्ण ढंग से कहा जाय तो मैं कहूंगा कि भारत कुछ वर्षों के लिये अंधकार में रहा है। हो सकता है कि यह राजनैतिक अंधकार हो या किसी और प्रकार का हम अंधकार में से निकलते रहे हैं परन्तु अब हम उषा के प्रकाश में हैं और हमें उस साधारण प्रकाश में जाना है जिस में परिस्थितियां सर्वथा सुरक्षित हो जायेंगी और विधि तथा व्यवस्था स्थापित हो जायेगी। और जब तक विधि तथा व्यवस्था स्थापित नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की प्रगति संभव नहीं। अतएव जब तक हम सूर्य के प्रकाश में नहीं आते और जब तक हम साधारण जीवन और साधारण स्वतन्त्रता के जाज्वल्यमान प्रकाश में नहीं पहुंचते सरकार को ऐसे अधिकारों की आवश्यकता रहेगी।

मैं यह भी बता दूं कि जिन बहुत बुरी परिस्थितियों के नियंत्रण के लिये यह था वे परिस्थितियां नहीं रहीं, बुरे हालात के बीच और उन की आधारभूत शक्ति अभी बाकी है और इसी कारण सरकार यह चाहती है कि यह अधिनियम संविधि पुस्तक में रहना चाहिये। इस के अतिरिक्त सरकार चाहती है—जैसा राज्य सरकारों ने अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित किया है—कि वे यथासंभव अधिकतम सीमा तक लोगों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे। केवल उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है जब सामाजिक स्वतन्त्रता खतरे में हो इस के आधारस्वरूप मैं कतिपय आंकड़े आप के समक्ष रखूंगा कि इस अधिनियम अर्थात् निवारक निरोध अधिनियम—अकारण निन्दित अधिनियम—के संविधि पुस्तक में होने से हम अधिक उपद्रव के अथवा अव्यवस्था के काल में से गुजर सकें हैं और जब तक हमारी परिस्थिति साधारण नहीं हो जाती सरकार के लिये ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के बिना कार्य करना संभव नहीं है। जैसा गृह मंत्री ने बताया इस अधिनियम का महत्व या इस का लाभ देश में समाज विरोधी लोगों पर नियंत्रण रखने में है न कि इस का प्रयोग करने में। इसी कारण से संख्या घट रही है और जब संख्या शून्य पर पहुंच जायेगी तब सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इस अधिनियम की आगे आवश्यकता है अथवा नहीं।

आचार्य कृपालानी : यदि आप कुछ लोगों को फांसी दे दें, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भी अधिक होगा।

श्री दातार : हम और देशों की तरह बिना विधि की प्रक्रिया के लोगों को फांसी नहीं दे रहे हैं। आप यह भली प्रकार समझते हैं कि यह सभ्य सरकार है यह एक लोकतन्त्रात्मक सरकार है और लोकतन्त्र केवल आदर्श सिद्धान्त में नहीं होता, वरन् वैध लोकतन्त्रात्मक साधनों में होता, है। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि क्योंकि इस अधिनियम के उपबन्धों का बहुत कम प्रयोग किया गया है अतएव

इस अधिनियम की सर्वथा कोई आवश्यकता नहीं है और वर्तमान परिस्थितियां साधारण हैं । यह सच नहीं है । जैसा मैंने बताया बुरी परिस्थितियों के बीज अभी बाकी हैं । मैं संक्षेप में बताऊंगा कि कितनी बुरी परिस्थितियों का खतरा था और इस अधिनियम के कारण देश उन से कैसे बच सका और किस प्रकार अब भी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं और सरकार केवल इन शक्तियों के विरुद्ध कार्य कर रही है । मैं बताऊंगा कि जब १९५० में पहली बार यह अधिनियम पारित किया गया था तो इस का किस प्रकार प्रयोग किया गया था । मेरे पास कतिपय आंकड़े हैं । १९५० में लगभग ८ या ९ मास में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन १०,९६२ व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया था । इन में से आप देखेंगे कि लगभग ६,००० व्यक्ति तेलंगाना के थे, आप तेलंगाना का इतिहास जानते हैं मैं वह नहीं बताऊंगा, इस की आवश्यकता नहीं है । यदि तेलंगाना की स्थिति से किसी प्रकार बचाव हो सकता है तो वह केवल निवारक निरोध अधिनियम की सहायता से ही हो सका है । और इसी लिये मेरे विपक्ष दल के मित्र आतुर हैं कि सरकार के पास इस उपबन्ध के अधिकार नहीं होने चाहियें ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या उन्हें पता है कि पिछले निर्वाचनों में श्री रवी नारायण रेड्डी को सब से अधिक मत प्राप्त हुए थे ?

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : तो क्या हुआ ?

श्री दातार : १९५० के १०,९६२ से १९५१ में निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या २३१६ हो गई, इस का अर्थ यह है कि यह उन का चौथाई रह गये । इस से सरकार की शिष्ट प्रकृति का भान होता है और पता चलता है कि इस अधिनियम का कितना परिमित प्रयोग किया गया है । इन २३१६ में से भी, ७२७ हैदराबाद से थे । १९५२ में आंकड़े और कम हो गये । अर्थात् १११६ रह गये । फिर ३० सितम्बर, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५३ तक केवल ९३१ निरोध सम्बन्धी आदेश जारी किये गये । जहां तक गत वर्ष का सम्बन्ध है १-१०-५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक केवल ४४० व्यक्ति निरुद्ध किये गये । अत: आप देखते हैं कि ये आंकड़े १००० से किस प्रकार ४०० तक आ गये । यदि निवारक निरोध अधिनियम न होता तो तेलंगाना की स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था । वैसी ही स्थिति अन्य स्थानों पर भी फैल जाती और मैं यह सोच कर कांप उठता हूं कि तब भारत की स्थिति क्या होती—प्रत्येक स्थान पर ठीक ढंग का प्रशासन होता अथवा बड़े पैमाने के दंगे हो जाने के कारण सारी व्यवस्था बिगड़ जाती । हमें इस पृष्ठभूमि में इस विधेयक को देखना है ।

न तो हमारी यह इच्छा है और न राज्य सरकारों की, कि इस विधेयक को राजनैतिक दलों के सदस्यों के विरुद्ध उन्हें कुचलने के लिये प्रयुक्त किया जाये । दूसरे शब्दों में कई बार यह कहा जा चुका है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष राजनैतिक विचारधारा रखने के कारण निरुद्ध नहीं किया जायगा । कई और बातों का ध्यान रखना पड़ता है, विचारधारा के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्यों का विचार किया जाता है जो विषय को हिंसात्मक और अपराध का रूप दे देते हैं । अत: जब कोई ऐसी विशिष्ट कार्यवाहियां होती हैं, तभी सरकार को ऐसे उपाय करने पड़ते हैं ।

कुछ विरोधी सदस्यों ने माननीय गृह मंत्री की आलोचना की है कि वे इस की आवश्यकता को प्रभावित नहीं कर सके ।

[श्री दातार]

इस की आवश्यकता प्रकाशित पुस्तिका में दिये गये कारणों से स्पष्ट है, और यह देखना है कि अब अवस्था क्या है, हम संसद् सदस्यों का कर्तव्य है और हमारा यह देखना भी कर्तव्य है कि जो चित्र उस पुस्तिका में खींचा गया है क्या वह ठीक है ।

मैं यह कहूंगा कि ३० सितम्बर, १९५४ को केवल १५४ व्यक्ति निरुद्ध थे । १९५३ में ५५४ व्यक्ति निरुद्ध थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप गलत आंकड़े दे रहे हैं ।

श्री दातार : गत वर्ष ३० सितम्बर, १९५३ को यदि मुझे ठीक याद है, कुल ५८४ व्यक्ति....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : गलत, गलत ।

श्री दातार : मेरे लिये इस का कोई महत्व नहीं है । मैं तो यह कहूंगा कि जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, ३० सितम्बर १९५४ को केवल १५४ व्यक्ति निरुद्ध थे । केवल यही पर्याप्त है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस वर्ष के आंकड़े १३१ हैं और गत वर्ष के १५४ हैं ।

श्री दातार : ३० सितम्बर, १९५४ को, ई ववरण १३ के अनुसार, मैं देखता हूं कि केवल १३१ व्यक्ति थे ।

श्री वी० पी० नायर : पांच सौ और कुछ नहीं थे ।

श्री दातार : आप देखते हैं कि इन की संख्या घटती गई है । इस से यह सिद्ध होता है कि हम ने इस अधिनियम के उपबन्धों का उपयोग बहुत ही थोड़े मामलों में किया है । अधिकांशतया निरोध सम्बन्धी मामलों का मंत्रणा बोर्ड ने अनुमोदन किया है । जहां तक मंत्रणा बोड का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि यह एक न्यायिक अधिकरण हो है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री दातार : यह एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण है । यदि आप को इस से संतोष हो, तो मुझे इस में भी कोई आपत्ति नहीं है । यदि अधिक मामलों में, उन के पास सरकार के आदेश हैं, तब आप सरकार की कार्यवाही के औचित्य के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठा सकते ।

फिर आप को पता होगा कि जो मामले उच्च न्यायालयों में गये हैं उन की संख्या भी कोई अधिक नहीं है । यह कहा गया है कि कई मामलों में उच्च-न्यायालयों ने यह बात जोर से कही है कि निवारक निरोध अधिनियम ही संविधि पुस्तक में नहीं होना चाहिये ।

जहां तक इस अधिनियम के प्रयोग का सम्बन्ध है, हम ने विधि तथा व्यवस्था पर होने वाले इस के सारे प्रभावों पर विचार किया है । जहां तक न्यायाधीशों की राय का सम्बन्ध है, उन की राय बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु वास्तव में जब विधि और व्यवस्था के बिगड़ने का भय हो, तो सरकार को कई परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है ।

भारत के अतिरिक्त विश्व में दो और देशों में ऐसा अधिनियम है ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : पाकिस्तान ?

आचार्य कृपलानी : टिम्बकटू ?

श्री दातार : मैं यह बताना चाहता हूं कि १९३५ में आयरलैंड---जिसे अब आयर कहते हैं---में निवारक निरोध सम्बन्धी एक विधि पारित की गई थी, जब कि न तो वहां कोई दंगे हुए थे और न कोई आन्तरिक राजनैतिक विद्रोह हुआ था । अव्यवस्था इसी स्तर की थी । आयरिश संसद् ने एक ऐसी ही विधि पारित की थी जो कि हमारी

संविधि पुस्तक की इस विधि के समान है। मेरी जानकारी तो यह है कि अमरीका में भी इस प्रकार की विधि है। अमरीका की विधि शान्ति के समय में प्रयोग करने के लिये है और निवारक निरोध अधिनियम के समान ही है। यद्यपि अमरीका का संविधान १५० वर्ष पुराना है और वहां की स्थिति पर्याप्त रूप से स्थिर हो चुकी है, फिर भी इस प्रकार का विधान वहां अधिनियमित किया जा चुका है।

इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए और यह ध्यान भी रखते हुए कि भारत ने अभी अभी स्वतन्त्रता प्राप्त की है और यहां ऐसे कुछ तत्व हैं जो लोगों को हिंसात्मक तथा अराजकता के कार्य करने के लिये भड़काते हैं, तो क्या यह आवश्यक है अथवा नहीं है कि सरकार ऐसी विधि बनाये? यह एक सरल प्रश्न है। दूसरे प्रश्न तो सैद्धान्तिक प्रश्न हैं और क्योंकि वह प्रश्न सैद्धान्तिक हैं, अतः वे अवास्तविक हैं। केवल यही पर्याप्त नहीं है कि संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता के बारे में ऊंचे स्वर से और जोर जोर से दुहाई देते रहें। इसी स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिये ही हमें इस निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश में ऐसे तत्व हैं, तब तक इस अधिनियम की आवश्यकता रहेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इसलिये यह एक मूलभूत अधिनियम है। क्या ऐसी बात है।

श्री दातार : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, संविधान के अन्तर्गत संसद् को यह अधिकार है कि ऐसी किसी किसी विधि को स्थाई रूप से संविधि पुस्तक में रख दें। किन्तु इस समय इसे स्थायी रूप से रखने का हमारा कोई विचार नहीं है। हम ने अधिनियम का प्रयोग बहुत कम किया है।

यह कहा गया है कि सरकार यह चाहती है कि साधारण निर्वाचनों के समय कांग्रेस ही जीते, इसलिये इस अधिनियम द्वारा मतदाताओं पर कांग्रेस का प्रभाव रखने के प्रयोजन से, इस का दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल गलत और निराधार बात है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में देश में दो स्थानों पर साधारण निर्वाचन हुए। एक साधारण निर्वाचन पैप्सू में हुआ जब कि वहां पर राष्ट्रपति का प्रशासन था। दूसरा साधारण निर्वाचन त्रावनकोर-कोचीन में हुआ, जहां कांग्रेस की एक काम-चलाऊ सरकार थी। पैप्सू में निर्वाचनों की तारीख से पहले केवल चार व्यक्ति निरुद्ध थे। पैप्सू में साधारण निर्वाचन १८ फरवरी, १९५४ से ले कर २८ फरवरी, १९५४ तक हुए। जनवरी, १९५४ से पूर्व वहां केवल चार व्यक्ति निरुद्ध थे। वे ही रहे और उस संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। आप इसे ठीक समझेंगे। वहां पर राष्ट्रपति की सरकार थी और राष्ट्रपति की सरकार निष्पक्ष होती है और आप लोगों को उन असाधारण स्थितियों का भी ज्ञान है जिनमें से पैप्सू गुजरा है। अतः इस विशेष प्रकरण में भी सरकार अत्यधिक सतर्क रही है। वास्तव में जैसा कि किसी ने कहा है, कि यह देख कर आश्चर्य होता है कि किस परिमित ढंग से और नरमी से इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है।

अब आप त्रावनकोर-कोचीन का मामला लें। वहां एक लालच था। काम चलाऊ सरकार, पहली कांग्रेस सरकार थी, जो हार चुकी थी। यदि वे अवांछनीय तरीकों से शक्ति प्राप्त करना चाहते, तो त्रावनकोर-कोचीन सरकार उन व्यक्तियों को निरुद्ध कर सकती थी जो अन्य दलों के नेता थे। किन्तु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया।

[श्री दातार]

जनवरी से मार्च तक, जिस समय निर्वाचन हुए थे, वहां कोई व्यक्ति निरुद्ध नहीं था। अतः इस से यह सिद्ध होता है कि कभी भी इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया।

तीन प्रश्न, जो आप के विचार के लिये मैं ने रखे हैं उन में से पहला यह है कि क्या इस की कोई आवश्यकता है—सो आवश्यकता तो सिद्ध हो ही चुकी है। यदि आप कोई वास्तविक दृष्टिकोण लेंगे, तो इस की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है और यह आवश्यकता उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे विरोधी मित्र इसी ढंग पर चलते रहेंगे, जिस पर कि वे अब चल रहे हैं। जिस क्षण भी वे बिना किसी शर्त के हिंसा को त्याग कर संसदीय प्रणाली को अपना लेंगे, अवस्था पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगी और सरकार इस अधिनियम का विस्तार करने की इच्छा ही नहीं करेगी।

मैं विरोधी दल के सदस्यों से पुनः प्रार्थना करूंगा—केवल उन के अतिरिक्त जो लोग एक दल विशेष से सम्बन्धित हैं—और जहां तक उस दल विशेष का सम्बन्ध है उन्हें विश्वास दिलाना तो असंभव और कठिन है, क्योंकि वे प्रत्येक परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा हो।

यदि संख्या अधिक होती, तो वे अवश्य ही कहते कि अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है, और अब संख्या कम है तो भी वे कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। इसलिये मैं अन्य सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस अधिनियम की निन्दा न करें, और इस सभा के समक्ष रखे गये विधेयक की आलोचना केवल इस कारण न करें कि उन्हें विरोधी दल के सदस्य होने के नाते सरकार की आलोचना करनी ही चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मित्र भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि हम हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमें इस पर नागरिक अधिकारों के हितों के दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है।

अन्त में मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करे कि सामान्य परिस्थिति आ गई है अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इस का एक मात्र उत्तर यही हो सकता है कि अधिनियम के उपबन्धों को रहने देना चाहिये। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन उपबन्धों का बराबर सदुपयोग किया गया है। जहां तक इस अधिनियम के उपयोग का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालयों में जो थोड़े से मामले रखे गये हैं, यही नहीं समझना चाहिये कि सभी मामले ऐसे ही थे। अन्य सैंकड़ों मामलों में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों का उचित उपयोग किया गया है।

अतः मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं ने जो तीन प्रश्न रखे थे उन का उत्तर दिया जा चुका है। अर्थात्, इस की आवश्यकता है, अधिनियम का उपयोग बिल्कुल ठीक ढंग से किया गया है और यह कि यद्यपि यह अधिनियम संविधि-पुस्तक पर अगले तीन वर्षों तक रहेगा, इस का उपयोग अत्यधिक सावधानी से किया जायगा। इस के प्रयोग पर काफी नियंत्रण भी रहेगा और तभी प्रयोग किया जायेगा जब कि स्थिति को और अधिक खराब होने से रोकना अत्यावश्यक समझा जायेगा।

डा० कृष्णस्वामी : मैं तो सीधे सीधे यह कहता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम को जारी रखने के योग्य युक्तियां नहीं दी गई हैं। यह मानते हुए भी कि इस अधिनियम की आवश्यकता है, मैं यह जानना चाहता हूं। कि क्या इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर के संसद् को इस अधिनियम के एक एक

खण्ड तथा उपबन्ध पर विचार करने और रूप भेद के सुझाव देनें से वंचित करने का औचित्य दर्शाया गया है। गृह मंत्री ने कहा था कि उन का विचार यह है कि इस अधिनियम के प्रयोग करने की कभी आवश्यकता हो नहीं पड़ेगी और यह एक नया मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिये ही रहेगा।

मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या संसद् के पास निर्जीव अधिनियम बनाने के अतिरिक्त और कुछ कार्य ही नहीं है ? उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अधिकांश राज्यों में इस की आवश्यकता ही नहीं है। जिन राज्यों में इस अधिनियम से काम लिया गया है, मैं समझता हूं कि वहां की साधारण विधियां उन स्थानों की अव्यवस्था को दूर करने के लिये पर्याप्त हैं।

मैं यह मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि गृह मंत्री तथा गृह उपमंत्री इस अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में बड़े नरम थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं थी और यही कारण है कि बहुत थोड़े से लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत जेलों में हैं।

निवारक निरोध का इतिहास यह है कि भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत इसे बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। १९५० में सरदार वल्लभभाई पटेल ने अत्यधिक नम्रता एवं युक्तिपूर्ण ढंग से इसे पुरःस्थापित किया था। इस के पश्चात् १९५१ में इस की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई। १९५२ में फिर इस पर गरमागरम बहस हुई। संसद् ने इस की अवधि में दो वर्ष की अवधि कर दी थी, परन्तु अब भी मेरे माननीय मित्र का कहना है कि वह इस अधिनियम की अवधि और बढ़ाना चाहते हैं अर्थात् इसे १९५४ से १९५७ तक ज़ारी रखना चाहते हैं। ऐसा करने से संसद् के पास इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अतिरिक्त और चारा ही क्या रह जाता है।

डा० काटजू : मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि यदि मेरी इच्छा केवल इस की अवधि बढ़ाना ही होती तो मुझे इस अधिनियम को किस प्रकार बनाना चाहिये था।

डा० कृष्णस्वामी : मेरा निवेदन यह है कि जब हम निवारक निरोध अधिनियम को अवधि में वृद्धि की बात सोचते हैं और देखते हैं कि स्थिति में सुधार हो चुका है तो हम माननीय मंत्री से यह आशा करते हैं कि वे इसे पुनर्विलोकन तथा प्रत्येक खंड की सूक्ष्म जांच के लिये हमारे सामने लाते। स्थिति में सुधार हो जाने पर अधिनियम की अवधि में वृद्धि करना बेकार चीज है, फिर भी माननीय मंत्री ने अपने भाषण के आरम्भ में ही यह घोषणा कर दी कि अभी निवारक निरोध का रहना आवश्यक है इसलिये इस की अवधि में वृद्धि की जानी चाहिये।

अब हमें देखना यह है कि जो आंकड़े हमें गृह मंत्री ने दिये हैं उन की सीमायें क्या हैं ? बहुत से लोग निरुद्ध किये गये हैं किन्तु संसद् को यह पता नहीं कि उन का निरोध ठीक हुआ है अथवा गलत। इस के विषय में गृह मंत्री का कथन है कि इस बात की जांच के लिये मन्त्रणा बोर्ड बना हुआ है किन्तु मंत्रणा बोर्ड कारणों के औचित्य तथा विवरण की सत्यता की जांच नहीं कर सकता है। इस कारण मैं ने यह संशोधन रखा है कि जो लोग निरुद्ध किये गये हैं उन से सम्बन्धित रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये, जिस से इन चीजों पर यहां विचार किया जा सके। आज इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि ये चीजें उचित रूप से की जा रही हैं अथवा नहीं। काफ़ी अनुभव

[डा० कृष्णस्वामी]

हो जाने के कारण निरोध करने वाले अधिकारी इतने कुशल हो गये हैं कि न्यायालयों में भी, निरोध के कारणों के औचित्य पर आपत्ति करना हमारे लिये असम्भव हो गया है। अतः अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिये संसद् को यह अवसर मिलना चाहिये कि वह निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों का पुनरीक्षण कर सके।

आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि कुछ राज्यों ने निवारक निरोध का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं किया है। इस से स्पष्ट हो जाता है सम्पूर्ण भारत में इस की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी काल तक में ऐसे अधिनियम कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहते थे, फिर आज के इस स्वातन्त्र्य युग में इस निवारक निरोध को सारे भारत के लिये लागू करने की क्या आवश्यकता है? इस का एक मात्र कारण यह है कि हम इस के आदी हो चुके हैं और इसलिये इस में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते।

हम संविधान के कुछ उपबन्धों में भी इसलिये संशोधन करना चाहते हैं कि वे सामाजिक हित की दृष्टि से आवश्यक हैं। उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि अनुच्छेद २२ का मौलिक अधिकारों के अध्याय में रखा जाना अजीब बात है। ऐसा करने से निवारक निरोध जैसे विषय पर संसद् की विधान बनाने की स्वतन्त्रता अथवा उस का अधिकार परिसीमित हो जाता है। अनुच्छेद ३५८ में, जो अध्याय आपात कालीन उपबन्धों के सम्बन्ध में हैं, यह कहा गया है कि अनुच्छेद २१ तथा २२ में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निराकरण नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मित्र का ध्यान इस महत्वपूर्ण तर्क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गम्भीरतम आपातकाल में भी जब कि भारत में संकट अथवा अशांति हो तो राष्ट्रपति तक अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिये निर्दिष्ट प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब संविधान ने इतनी साधावनी से काम लिया है तो संसद् को भी चाहिये कि वह इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करे। तो बड़ी सावधानी से काम ले। संसद् का कर्तव्य है कि जब भी निवारक निरोध अधिनियम उस के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय तो वह उस के प्रत्येक उपबन्ध पर हर प्रकार से विचार करे। इसलिये पहले दिन जब यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था तो एक औचित्य प्रश्न के द्वारा मैं ने यह सुझाव दिया था कि मूल अधिनियम के खंडों के सम्बन्ध में संशोधन रखने का अधिकार दिया जाये। यह एक विशेष प्रकार का विधान है जिस के सम्बन्ध में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है इसलिये यदि हम इस के लिये प्रक्रिया के साधारण नियमों के विरुद्ध किसी और प्रक्रिया की आवश्यकता समझते हैं तो हमें उस का उपयोग इस अवसर पर करने की छट होनी चाहिये। हमारे विरुद्ध आरोप यह नहीं लगाया जाता है कि हम जो युक्तियां रख रहे हैं वे तर्कसंगत नहीं हैं वरण् यह कि हम जिन का साथ दे रहे हैं वे अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। मैं अपने मित्र माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अच्छा उद्देश्य इसलिये बुरा हो जाता है कि उस का समर्थन करने वाले व्यक्ति बुरे हैं? इस कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जनता के अधिकारों पर कोई ऐसा कुठाराघात न किया जाय जो अनावश्यक हो तथा जिस का उद्देश्य केवल सत्ताधारी व्यक्तियों को प्रसन्न करना हो।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा): निवारक निरोध अधिनियम की अवधि

बढ़ाने के विरोध में बहुत कुछ कहा गया है और इस के पक्ष में कम कहा गया है, किन्तु एक बात महत्वपूर्ण है कि विरोधी पक्ष में भी इस बात पर एकमत नहीं है ।

जार्ज बरनार्ड शा ने एक बार कहा था कि ४० वर्ष के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति घाघ बन जाता है। चालीस वर्ष के बाद वह स्फूर्ति और शक्ति चली जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम डा० काटजू के मस्तिष्क में स्थिर सा हो गया है ।

विरोधी पक्ष की ओर से जो भी विश्वास दिलाने वाले तर्क प्रस्तुत किये गये डा० काटजू ने उन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । मुझे आश्चर्य है कि इस शान्ति के समय में भी वे यह आवश्यक समझते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम की अवधि और बढ़ाई जाये । कुछ दिन पूर्व ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति ने कहा था कि संसार के किसी देश में ऐसी विधि लागू नहीं है । निवारक निरोध अधिनियम के अधीन शान्ति के समय में भी लोग बिना परीक्षण के बन्द किये जा सकते हैं। मैं इस अधिनियम को अत्याचारपूर्ण मानता हूं । कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने उड़ीसा में कहा था कि शान्ति-पूर्ण वातावरण में लोग अपना जीवन अच्छी तरह बिता रहे हैं, और सब प्रकार से उन्नति कर रहे हैं । किन्तु हम यह बात कैसे मान सकते हैं, जब कि इस प्रकार की विधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । यदि आप साम्यवाद का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप उस पर निवारक निरोध अधिनियम द्वारा विजय नहीं पा सकते, अपितु देश की जनता की ओर विशेष ध्यान देने तथा उन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही आप ऐसा कर सकेंगे । क्या आप नहीं देखते कि देश में लाखों आदमी भूखे हैं ? आप कहते हैं कि देश में शान्ति है, परन्तु मेरे विचार में यह शान्ति श्मशान भूमि की शान्ति है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में पुनः विचार करें और देश की जनता को अपनी सच्चाई तथा शांति प्रियता सिद्ध करने का अवसर दें । मैं इस अधिनियम को नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात मानता हूं ।

हम को बताया जाता है कि भारत में वास्तविक लोकतन्त्र है । किन्तु मुझे यह कहते हुए खद होता है कि संविधान के अनुसार भले ही ऐसा हो, किन्तु व्यवहार रूप में ठीक इस के विपरीत है । हम ने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं, जहां कि इस विधान की मदद से लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया गया । हम चाहते हैं कि संविधान में निहित बड़े बड़े सिद्धान्त व्यवहार रूप में भी आवें । सरकार एक ओर तो यह कहती है कि विधि किसी दल के खिलाफ नहीं है, और दूसरी ओर स्वयं माननीय गृह मंत्री यह कहते हैं कि हम इस प्रकार की विधि इस लिये चाहते हैं क्योंकि देश में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता है । सरकार हर मामले में परस्पर विरोधी बातें कहती है । मैं इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड का एक उद्धरण देता हूं :

> "संसार के किसी भी देश में शान्ति के समय ऐसा विधान नहीं बनाया गया । ऐसा विधान लोकतन्त्र के लिये एक कलंक स्वरूप है । सात साल की अवधि के बाद भी यह कहना कि देश लोकतन्त्र के लिये अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है, यह दिखाता है कि सरकार संतोषजनक रूप में देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है । वस्तुतः यह कोई तर्क है । यह बात बड़ी दुःखदाई है कि सरकार इस बात के समझने

[श्री चट्टोपाध्याय]

में असमर्थ है कि ऐसा अधिनियम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये कितना घातक है ।"

मुझे आश्चर्य है कि यही डा० काटजू जिन्हों ने रोलेट अधिनियम का घोर विरोध किया था, तथा ब्रिटिश साम्रज्यवाद के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया था, आज इस अधिनियम का पक्ष ले रहे हैं, जो कि किसी प्रकार उचित नहीं है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरी) : इस निवारक निरोध अधिनियम के बारे में आवश्यकता से अधिक चर्चा हो चुकी है । अतः इस अवस्था में इस के पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ भी कहना व्यर्थ समय नष्ट करना है । माननीय गृह मंत्री तथा गृह उपमंत्री ने अनेक तर्क देकर यह सिद्ध किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस विधान का पुरःस्थापन युक्तिसंगत है । डा० काटजू यह चाहते हैं, कि यह विधान, जिस का उचित रूप से प्रयोग किया गया है और जिस से देश में शान्ति रही है, थोड़े समय के लिये और बढ़ा दिया जाये । हमें वस्तुतः इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । संसद् ने सारे पहलुओं को अच्छी तरह देख कर ही इस विधान को स्वीकार किया था । प्रयोग में आने पर इस से अच्छे ही परिणाम निकले हैं ।

मुझे इस विधान के बारे में जो सब से बड़ी चिन्ता है, वह यह कि माननीय मंत्री ने इस का क्षेत्र सीमित रखा है और इस में जम्मू तथा काश्मीर सम्मिलित नहीं किये गये हैं । मैं चाहता था कि विदेशी मामलों के सम्बन्ध में और देश की रक्षा के लिये यह अधिनियम सारे देश पर लागू हो । अतः, मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे मामलों में जहां कि देश की रक्षा का सवाल हो, ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिये कि राष्ट्रपति का एकीकरण आदेश किसी प्रकार भी भारत सरकार अथवा इस देश की संसद् को अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों से च्युत करता है ।

मुझे और कुछ नहीं कहना है । मुझे विश्वास है कि देश इस विधान को स्वीकार करेगा और इस का अनुमोदन करेगा ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद --उत्तर): मैं ने इस विधेयक के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है । मुझे आश्चर्य है कि इस सभा के किसी भी पक्ष ने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लेख नहीं किया । इस का अर्थ मैं यह लेता हूं कि उनके प्रति किसी को कोई आपत्ति नहीं है ।

अधिनियम की धारा ३ में प्रथम उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में किया गया है, जो कि कोई ऐसा काम करता है, जो कि देश की रक्षा अथवा विदेशों से भारत के संबंधों की दृष्टि से प्रतिकूल है । मैं नहीं समझता कि इस सभा का कोई भी सदस्य यह चाहेगा कि देश की रक्षा खतरे में पड़े अथवा विदेशों से उस के सम्बन्ध बिगड़ें । सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि जनतन्त्र पर विश्वास न रख कर एकतन्त्र का अनुगामी है, और हिंसा में विश्वास रखता है । अतः मैं तो चाहता था कि इस अधिनियम की अवधि उस समय तक के लिये बढ़ा दी जाती जब तक इस देश की सारी जनता लोकतन्त्र में विश्वास न करने लगे ।

यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि लोकतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, उन के लिये देश की साधारण विधि लागू होनी चाहिये और उन व्यक्तियों का बाकायदा परीक्षण होना चाहिये । देश की इस साधारण विधि से उन लोगों का तात्पर्य शायद दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धाराओं १०७, १०८ और १०९ से है। परन्तु देखने पर यह पता चलता है कि ये धारायें अपर्याप्त हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि शरारत पर तुला हुआ है, जमानत दे कर फिर अपने कार्य में लग जायेगा। विशेष अवसरों पर हम को विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय उस व्यक्ति को निरुद्ध करना है। निरोध के दौरान में उस व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, इस कारण उच्च न्यायिक पदाधिकारियों का एक मंत्रणा बोर्ड नियुक्त किया जाता है, जो कि मामले के सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय दे सके। मैं नियमित परीक्षण के विरुद्ध कोई कारण नहीं देखता, क्योंकि इस से सारा मामला प्रकाश में आ जायेगा और सारी दुनिया यह जान जायेगी कि भारत देश में क्या हो रहा है।

दूसरी बात राज्य की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था के बारे में है। प्रत्येक सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह देश में विधि और व्यवस्था कायम रखे और मेरे ख्याल में किसी भी पक्ष को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

इसी प्रकार अत्यावश्यक वस्तुओं के संभंरण को रोकने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये यह उपबन्ध आवश्यक है। ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ व्यक्ति, जो कि लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं और जिन का काम केवल शरारतें करना ही है, बिजली या पानी का संभरण पूरी तरह से बन्द कर दें अथवा ऐसी कोशिश करें, अतः यह उपबन्ध बहुत जरूरी है।

अनेक सदस्यों ने ब्रिटिश काल में कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों के उद्धरण दिये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि उस समय परिस्थिति भिन्न थी, विदेशियों का राज्य था, जो कि बल प्रयोग अथवा आन्दोलन द्वारा ही हटाया जा सकता था। हम ने अहिंसात्मक आन्दोलन का पथ ग्रहण किया था, हम अपने कार्य में सफल हुए और देश में लोकतन्त्र की स्थापना की। कुछ देशों में हिंसात्मक आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की गई। उन देशों के लोग अब भी हिंसात्मक सिद्धान्तों के मानने वाले हैं जिन के अनगामी दूसरे देशों में भी श्रमिकों तथा कृषकों को संगठित कर के लोकतन्त्र को खत्म करना चाहते हैं। हमें अपने लोकतन्त्र की रक्षा करने का प्रत्येक अधिकार है, और ऐसा करते समय हमें देखना है कि किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ में परेशान न किया जाये। इसीलिये मंत्रणा बोर्ड की स्थापना की गई है। मैं निवेदन करता हूं कि यह अधिनियम अति आवश्यक है और कम से कम इस समय इस की अवधि अवश्य बढ़ा दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

पंडित के० सी० शर्मा: विधेयक पर की गई आपत्तियों को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह विधेयक १९५४ से संविधि पुस्तक में है और इस पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। अब इस में अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त के प्रश्न पर इस की वांछनीयता पर शंका करना व्यर्थ है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० की उपधारा (ङ) में अन्तर्गत उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो शांति भंग करते हैं अथवा ऐसे अपराधों के लिये उकसाया करते हैं। इस धारा के अन्तर्गत जिन लोगों का चालान किया जाता है उन्हें बहुत कम विमुक्त किया जाता है। इस लिये देश की इस सर्वमान्य विधि की अपेक्षा निवारक निरोध अधिनियम जनता के लिये अधिक

[पंडित के० सी० शर्मा]

अच्छा रहेगा । और यह इतना कठोर भी नहीं होगा । धारा ११० के अन्तर्गत जिनका चालान हो जाता है उन्हें छोड़ा नहीं जाता और साम्यवादी दल के सभी सदस्य धारा ११० (च) में आ जाते हैं क्योंकि वे विधि का उल्लंघन करते हैं और वर्तमान सामाजिक ढांचे को अस्त व्यस्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं ।

प्राचीन काल से ही कोई न कोई लोग सामाजिक संस्थाओं को नष्ट करने का काय, जो आज कल साम्यवादी दल कर रहा है, करते आये हैं । अतः जब तक हमारे सामाजिक ढांचे को सभी दलों के लोग स्वीकार नहीं कर लेते इस विधान की आवश्यकता रहेगी ।

प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाये रखना चाहिये परन्तु आत्म सम्मान का यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि सामाजिक ढांचे को ही तोड़ फोड़ दिया जाये । विधि को बदलने और उसे भंग करने में बड़ा अन्तर है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि देश की भांति प्रगति और स्थिरता के लिये यह विधि बहुत आवश्यक है ।

कहने का अभिप्राय यह है कि इस विधान में कोई नई बात नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता में पहले ही से यह संविधि पुस्तक पर विद्यमान है । और फिर यह संविधान के अनुच्छेद २२ के क्षेत्र में भी आता है ।

मैं यह नहीं कहता कि यह विधान पारित करना संविधान के अन्तर्गत आवश्यक है परन्तु यदि संविधान इसे पारित करने की स्वीकृति देता है और ऐसा किया जाता है तो इसे अवैध अथवा अत्याचारपूर्ण नहीं कहा जा सकता । और यदि कोई यह कहता है तो इस का यह अर्थ होगा कि वह अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता ।

यह आधुनिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त के अनकूल ही है । क्योंकि राज्य की सुरक्षा पर प्रहार करने और विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्धों में गड़बड़ पैदा करने वाले अपराधों के लिये एक दिन से एक वर्ष के निरोध का दंड निश्चित किया गया है जब कि देश की साधारण विधि के अनुसार ऐसे अपराध करने वालों को तीन वर्ष का कारावास दंड दिया जा सकता है । इस से अपराधी सस्ते में ही छूट जायेंगे ।

और यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाता है और पांच वर्ष का कारावास भुगतने के पश्चात् जब वह वापस अपने समाज में जाता है तो उसे पक्का अपराधी समझा जाता है और लोग उस से घृणा करते हैं परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध रहने पर ऐसा नहीं होता । इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है । आधुनिक राज्यों में विधान बनाते समय सामाजिक दृष्टिकोण को विशेष महत्व दिया जाता है । समाज को इस से यह लाभ भी होगा कि यदि स्थिति काबू से बाहर होने वाली हो तो उसे तुरन्त संभाल लिया जाये । जिन राज्यों ने इसे प्रयोग किया है वे इस बात की गवाही दे सकते हैं कि स्थिति को काबू में करने के लिय यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है । कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश शांतिपूर्वक उन्नति करे और देश में स्थायी सरकार रहे, वे अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिये उपद्रव करते हैं और वर्तमान ढांचे को नष्ट कर के इसे अपनी इच्छानुसार बनाना चाहते हैं । परन्तु उन्हें यह विनाशकारी कार्य करने से रोकने के लिये यह विधि अत्यधिक आवश्यक है ।

इसलिये मेरा कहना है कि जब तक कुछ लोग संविधान में स्वीकृत किये गये सामाजिक ढांचे के प्रतिकूल कार्य करते रहेंगे तब तक इस ढांचे को बनाय रखने के लिये इस विधि की बड़ी आवश्यकता रहेगी ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : इस विषय के पक्ष और विपक्ष में प्रत्येक वर्ष वही दलीलें सुनते सुनते हम तंग आ गये हैं, क्योंकि इन से कोई लाभ नहीं होता ।

अब वास्तव में बात यह है कि यह अधिनियम कई वर्ष से चला आ रहा है, इस के निर्माताओं के मन में पाप था और वे लोगों को उन सब अधिकारों और मूल अधिकारों से वंचित करना चाहते थे जो उन्हें संविधान द्वारा दिये गये हैं । और वास्तव में वे इस के लिये लज्जित भी थे । उन के विचारानुसार उस समय ऐसी स्थिति थी जिस के लिये यह अधिनियम आवश्यक था । अब माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह औचित्य प्रकट किया है कि इस से लोगों के मन पर एक मनोवैज्ञानिक रोक रहती है कि वे अशान्ति न फैलायें । परन्तु मैं इसे उचित नहीं समझता क्योंकि इस के द्वारा लोगों को संविधान के अन्तर्गत दिये गये मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है ।

हमें जो आंकड़े दिये गये हैं उन से यह अधिनियम उचित नहीं जान पड़ता ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में गृह-कार्य मंत्री नें कहा है कि शांति और व्यवस्था स्थापित करने में यह बड़ा प्रभावी सिद्ध हुआ है । उन के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि शेष सब अधिनियम अलग रख दिये गये हैं और अब हर बात के लिये इसी अधिनियम का प्रयोग किया जायेगा । क्या शांति और व्यवस्था स्थापित करने में दूसरे अधिनियमों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ?

इसे सरकार विद्यार्थियों, कृषकों और श्रमिकों के आन्दोलनों के विरुद्ध प्रयुक्त करना चाहती है परन्तु बताया गया है कि कई मामलों में सरकार ने इस अधिनियम का गलत प्रयोग किया है क्योंकि सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि आन्दोलन करने वालों की मांगें ठीक हैं । अतः यह कहना ठीक न होगा कि इन आन्दोलनों को दबाने के लिये इस शक्ति की आवश्यकता है ।

गृह-कार्य मंत्री कहते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मंत्रणा बोर्ड के सामने अपना मामला रख सकता है । पंडित के० सी० शर्मा ने कहा कि उन्हों ने दंड प्रक्रिया संहिता में प्रतिपरीक्षण के लिये बहुत आग्रह किया था परन्तु इस अधिनियम में वे उसे आवश्यक नहीं समझते हैं । परन्तु उन्हें प्रतिपरीक्षण की बजाय इस मूल विषय पर आग्रह करना चाहिये था कि पुलिस के प्रतिवेदन को विश्वस्त न माना जाय । यहां भी तो पुलिस के ही प्रतिवेदन पर मंत्रणा बोर्ड कार्यवाही करेगा ।

मुझे भी तो झूठा केस तैयार कर के २८ मास के लिये निरुद्ध किया गया था । परन्तु हम ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया ।

पंडित के० सी० शर्मा ने कहा कि यह अधिनियम अच्छा है क्योंकि इस के अधीन केवल एक वर्ष का दंड दिया जाता है जब कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अन्तर्गत बहुत अधिक दंड दिया जाता है । यह तर्क केवल तर्क के लिये ही है । मैं तो केवल यह सोचता हूं कि इस का जीवन काल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

और फिर एक ओर कहा जाता है कि देश में साम्यवादी हैं इस लिये यह अधिनियम आवश्यक है परन्तु दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इसे राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ प्रयुक्त नहीं किया जायेगा ।

आंध्र, त्रावनकोर-कोचीन और हैदराबाद में इस अधिनियम की किसी धारा का प्रयोग करने का कभी भी अवसर नहीं पैदा हुआ । इसलिये आप का यह तर्क ठीक नहीं है कि इसी दल के कारण यह विधान बनाया जा रहा है ।

[श्री राघवाचारी]

केवल मामलों की संख्या ही इस का उचित आधार नहीं हो सकती । उन २५० मामलों में से कई झूठे और बनावटी हो सकते हैं और उन में अधिकारों का दुरुपयोग किया गया होगा । हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिये । मुझे खेद तो इस बात का है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ रही है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष समय नष्ट करने की बजाय एक ही बार इस की कालावधि तीन वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये । यह व्यर्थ है ।

इस प्रकार से एक निकम्मा सा तर्क प्रस्तुत किया गया है जो हमें कदापि सन्तुष्ट नहीं कर सकता । अतः इस कार्य में हम आप की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं ? आप के तो हाथी के समान दांत हैं—खाने के और दिखाने के और । आप संसार के अन्य देशों को तो और रूप दिखाते हैं, परन्तु देश में आपका व्यवहार और ही प्रकार का है । आप तो देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं । अतः इस प्रकार के विधान को जारी रखना एक घोर अन्याय है और हम कदापि इस का समर्थन नहीं कर सकते ।

कुमारी एनी मस्कीन (त्रिवेन्द्रम) : यह विधान स्पष्टतया बताता है कि सरकार, बिना इस प्रकार की विशेष विधियों का सहारा लिये देश का शासन करने में असमर्थ है । कितने दुःख की बात है कि देश की शान्ति और अनुशासन की रक्षा करने वाले, स्वयं सामान्य विधि को छोड़ कर विशेष विधियों का सहारा ले रहे हैं ।

यदि हम इस विधि के संचालन के विषय में विचार करते हैं तो भी हमें यह संतुष्ट नहीं करता । १९५२ में यह विधि मध्य भारत आदि नौ राज्यों में काम में नहीं लाई गई । १९५३ में भी लगभग यही दशा थी, और १९५४ में एक या दो अपवादों के अतिरिक्त शेष राज्य वैसे ही, बिना इस विधि के अपना काम चला रहे हैं ।

इस विधि के अन्तर्गत ३६ करोड़ की कुल जनसंख्या में से, १९५२ में, ५८४, १९५३ में ३९१, और इस वर्ष ४१० व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है । इस से स्पष्ट प्रकट होता है कि इस विधि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।

आप तो प्रजातन्त्र का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं । समस्त शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित कर के आप कुमार्ग पर चलना चाहते हैं । संसार के अन्य किसी भी देश में निरोध-विधि ऐसे बुरे ढंग से प्रयोग में नहीं लाई जाती जैसे भारत में आज प्रयोग में लाई जाती है, और वह भी शान्ति काल में । इंगलैंड में जब सामान्य विधि को दबाने का प्रयत्न किया गया, तो प्रतिक्रियास्वरूप मैग्ना कार्टा का जन्म हुआ, और फिर बन्दी प्रत्यक्षीकरण का भी आगमन हुआ ताकि सामान्य विधि की रक्षा की जा सके यद्यपि ऐसी स्थिति तक पहुंचने में वहां बहुत समय लग गया, परन्तु इस से हम एक शिक्षा अवश्य ग्रहण कर सकते हैं । हम अन्य लोगों के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बिना अधिक देर तक इधर उधर भटके , शीघ्र ही सीधे मार्ग पर आ सकते हैं । फ्रांस में रूसो आदि क्रांतिकारियों के रूप में आये थे, परन्तु बाद में वे ही संसार भर के लिये अमरीका के पथ प्रदर्शक और रक्षक बन गये । अमरीका में भी क्रांतिकारियों को पहले घृणा की दृष्टि से देखा जाता था परन्तु उन के उपरान्त लिंकन और वाशिंगटन आदि ने उन्हीं क्रान्तिकारी विधियों का थोड़ा बहुत विकास कर के उन्हें ही देश की सामान्य विधियों का रूप दे दिया । परन्तु किसी भी देश ने निरोध विधि को नहीं रखा ।

परन्तु भारत पर इसे व्यर्थ में ही लादा जा रहा है ।

और फिर यहां यह लिखा है कि यह निरोध विधि 'बुरे चरित्र' वाले लोगों पर लागू होगी। परन्तु वह 'बुरे चरित्र' वाला कौन है ? भ्रष्टाचार और चोर बाजारी करने वाले बड़े बड़े लोग तो छूट जाते हैं, परन्तु छोटे छोटे निर्दोषी बेचारे फंस जाते हैं। ऐसा अन्याय और अत्याचार क्यों ? रूस में भी इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये थे, तब वहां क्रान्ति हुई थी ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

एक प्रजातन्त्र राज्य में विरोधी पक्ष के विचारों को नहीं दबाना चाहिये । उन्हें अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । अतः इस प्रकार की निरोध-विधि को जारी रखना, कदापि न्याय-संगत नहीं है ।

फिर कहा गया है, कि यह विधि आपात-काल के लिये है, परन्तु इस के लिये धारा १४४ जो है जो कि आपात काल में प्रयुक्त की जा सकती है। त्रिवेन्द्रम में इतनी भयानक स्थिति होने पर भी वहां यह विधि प्रयुक्त न कर के, धारा १४४ से ही काम चला लिया गया । यह विधि तो स्पष्टतया कायरता की निशानी है, और आप उन विधियों का सहारा लेकर अपनी रक्षा करना चाहते हैं । यह प्रकट करता है कि आप किसी न किसी प्रकार से राजसिंहासन से लिपटे रहना चाहते हैं ।

श्री आर० सी० शर्मा (मुरैना-भिंड) : सभाध्यक्षा महोदय, इस सदन में इस निवारक निरोध अधिनियम के ऊपर चर्चा होते हुए आज यह तीसरा दिन है । मैं ने आप के दाईं ओर बैठे हुए कुछ प्रवक्ताओं में भाषणों को सुना । मैं ने उन के भाषणों से यह अनुमान किया है कि वे वास्तविकता से बहुत ही दूर हैं ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी--दक्षिण) : बाईं ओर या दाईं ओर ?

श्री आर० सी० शर्मा : बांई ओर, मैं संशोधन स्वीकार करता हूं । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक इस अधिनियम की आवश्यकता का विवरण देना है उस के बारे में यह विचार करना होगा कि क्या देश में इस प्रकार की स्थिति है कि जिस में इस प्रकार के अधिनियम को हटाया जा सके या इस का रखना आवश्यक न रहा हो । यह कहा गया है कि दूसरे देशों में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुनिया में ऐसा भी कोई देश है कि जो हमारे देश के समान लम्बा चौड़ा और इतनी जनसंख्या वाला हो, जिसमें इतनी जल्दी आजादी प्राप्त हुई हो, और इस देश ने जिन परिस्थितियों में आजादी प्राप्त की क्या कोई और देश है जिस ने इस प्रकार आजादी प्राप्त की हो । जब इस प्रकार की और कहीं स्थिति नहीं है तो फिर इस देश की दूसरे देशों से तुलना करना, इस संविधान पर चर्चा करते समय, असंगत है । माननीय सभानेत्री महोदया, आज इस सदन में श्री चटर्जी साहब और उन के साथी खरे साहब ने इस विधान के आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए यह कहा कि यह डिमाक्रेसी की एक माँकरी है । मैं तो यह समझता हूं कि यदि इस प्रकार का अधिनियम न रखा जाय तो यह प्रजातन्त्र यानी डिमाक्रेसी एक माँकरी होगी । जिस प्रकार के नागरिक अधिकारों का ख्याल श्री चटर्जी साहब के मस्तिष्क में है वह दूसरे प्रकार के हैं । उन्हों ने और उन के साथी खरे साहब ने यहां पर यह कहा है कि मध्य-भारत में मन्दसौर में कांग्रेस ने क्या किया, और उन्हों ने यह कहने का साहस किया कि वहां पर कदाचित इस विधान के अधीन उन्हीं नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात

[श्री आर० सी० शर्मा]

किया गया । उन का यह कहना अपने स्थान पर सही नहीं है । जिस प्रकार की उन की पार्टी है और जिस प्रकार से वे जनतन्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से विदित हो जायेगा । इस से प्रकट हो जायेगा कि उन के विचार क्या हैं और जिस जनतन्त्र में वे रहना चाहते हैं उस की उन की कल्पना क्या है । उन का दृष्टि-कोण ही विपरीत है और वैसा दृष्टिकोण होते हुए यह स्वाभाविक है कि वे इस प्रकार के अधिनियम का विरोध करें । और वे इसलिये विरोध करते हैं कि उन को अनर्गल आलोचनायें करने की खुली छूट मिल जाये और वे चुनाव के समय अनुचित प्रचार कर सकें । जो निर्णय ग्वालियर के एक ट्रिब्युनल ने दिया था उस को मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है कि इस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने किस तरह से झूठा प्रचार किया, किस तरह से प्रकाशन कराया और किस तरह से प्रेस का उपयोग किया था और उसी के आधार पर उन का निर्वाचन निरस्त्र हुआ । यह एक मान्यता प्राप्त निर्णय इस सदन के सामने है ।

दूसरे कैंडिडेट जो हिन्दू सभा के हैं उन के बारे में भी यही कुछ कहा गया है । इसी प्रकार और भी अनेकों बातों के बारे में ट्रिब्युनल ने होल्ड किया और जितनी हिन्दू सभा की ओर से गलत कार्यवाहियां हुईं उन को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया और उन दोनों उम्मीदवारों का जो इलैक्शन हुआ था और जिस को कि ट्रिब्युनल ने गलत करार दे दिया था, उस को सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध ठहराया और ऐसी स्थिति में उन का इस प्रकार से अधिनियम का विरोध करना स्वाभाविक ही था ।

इस के साथ ही साथ यह कहा जाता है कि जिन प्रान्तों में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अधीन किसी को निरोध में नहीं लिया गया, उन प्रान्तों में इस की क्या आवश्यकता है । मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सही होगा कि यदि किसी प्रान्त में कोई हत्या का अपराध नहीं हुआ तो वहां पर धारा ३०२ ताजीरात हिन्द की निरस्त्र कर दी जाय या उस को उपयोग के लिये वहां न रक्खा जाय । यह नहीं हो सकता है कि किसी एक प्रान्त या स्थान के लिये एक कानून बनाया जाये और दूसरे स्थान या प्रान्त के लिये कोई दूसरा कानून बनाया जाये ।

दूसरी बात जो इस विधेयक के सम्बन्ध में कही गई है कि ऐसी कोई मिसाल नहीं दी गई है जिस से कि इस को आगे बढ़ाना उचित समझा जाय । मैं इस के उत्तर में जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन के समक्ष ऐसी भी कोई मिसाल दी गई है कि गत वर्ष जब इस विधेयक की यहां चर्चा हुई और वह पास हुआ उस के पश्चात् ऐसी भी कोई मिसाल किसी माननीय सदस्य के पास है कि जिस में इस विधान का दुरुपयोग हुआ हो । जहां तक परिस्थितियों का सवाल है, यह तो प्रत्येक प्रान्त की भिन्न भिन्न है । मध्यभारत के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अभी चार पांच महीने में करीब पचास के लगभग हत्यायें हुई हैं और वे डाकुओं के द्वारा हुई हैं । ऐसे स्थान पर यदि कुछ अवांछनीय व्यक्ति जो उन डाकुओं को सहयोग देते हैं, उन के विरुद्ध यदि इस विधान का उपयोग होता है तो क्या वह अनुचित है, मैं तो कहूंगा कि ऐसा करना नितान्त ठीक और आवश्यक है । उसमें किसी के नागरिक अधिकारों पर कोई आघात नहीं हो सकता है । दूसरी बात जो यह कही गई है कि इस विधान का उपयोग होने पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस में यदि उस का दुरुपयोग हुआ हो उस की जांच की जा सके,

मैं इस को नहीं मानता । मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मध्यभारत की ही मिसाल को ले लीजिये । वहां पर तीस व्यक्तियों ने ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने उपस्थित हो कर अपनी सुनवाई कराई और उन तीस व्यक्तियों में से दस व्यक्तियों को ऐडवाइजरी बोर्ड ने छोड़ दिया । इसी प्रकार और प्रान्तों के फिगर्स (आंकड़ों) को देखते हुए भी यह विदित होता है कि लगभग तेंतीस प्रतिशत व्यक्ति ऐडवाइजरी बोर्ड के द्वारा छोड़े गये हैं ।

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बार जिस को डिटेंशन में ले लिया गया उस के बारे में आगे कुछ नहीं हो सकता है और उस को अपने बारे में कुछ कहने का उसे कहीं हक नहीं रहता है । मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अवांछनीय तत्व और व्यक्ति हमारे समाज में अभी विद्यमान हैं जो सामने तो आते नहीं हैं और परदे में से जो दूसरी जमातों को कहीं पर विद्यार्थियों को, कहीं पर मजदूरों को और कहीं पर छोटे छोटे कर्मचारियों को बहकाते हैं और ऐसे कार्य करने को विवश करते हैं जिन से शांति और सुरक्षा में बाधा पड़े । माननीय गृह-मंत्री महोदय अपने भाषण में यह कहा था कि इन्दौर म एक बड़ी घटना हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस विधान का उपयोग किया गया होता तो वहां पर वह घटना न घटी होती जिस में कि सरकार को या पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी । यह एक बड़ा उपयोगी विधान है, इस से हम बहुतों के प्राणों को बचा सकते हैं यदि समय पर उस का ठीक उपयोग किया जाय ।

श्री **गिडवानी** (थाना) : इस का मतलब है कि ठीक उपयोग नहीं होता ।

श्री आर० सी० शर्मा : जहां पर समय पर इस का उपयोग नहीं होगा वहां पर अवश्य ही यह शिकायत रहने का स्थान है । मैं चाहता हूं कि किसी भी कानून का उपयोग करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक होगा कि शासन के पास जो भी अधिकार हैं उन का विधान के नियमों के अनुसार पूरा पूरा पालन किया जाय । इस सदन का इस प्रकार का विधान बनाने का यही मन्तव्य है जिस से अधिक से अधिक सुरक्षा रहे और जब कभी परिस्थिति के खराब होने का समय आये उस का उपयोग किया जाय । मैं निवेदन कर रहा था कि जहां पर साधारण कानून के बारे में यह कहा जाता है कि उसके ही अधीन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चलाना चाहिये । मैं यह अच्छी तरह से समझता मैं ने स्वयं देखा भी है कि जो चतुर चालाक और अभ्यस्त व्यक्ति होते हैं वे कभी भी न्यायालय से दंडित नहीं हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिये यह बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त विधान है ।

श्री **गिडवानी** : जितने चतुर आदमी हैं उन सब को इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में पकड़ कर डाल दीजिये ।

श्री आर० सी० शर्मा : जब कि हमारे देश में बहुत से ऐसे निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जिस समय शासनाधिकारियों का, कर्मचारियों का अधिक ध्यान निर्माण की ओर लगा हुआ है, ऐसे समय में यदि अवांछनीय तत्व दूसरी ओर से कुछ इस प्रकार की हरकतें करने लगें जिन से निर्माण के कार्यों में बाधा पड़े तो उस वक्त बचाव के लिये और निर्माण कार्यों को प्रगति की ओर ले जाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस प्रकार का विधान रक्खें ।

मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि हर साल इस की अवधि बढ़ाने के लिये इस सदन में आने की बजाय इस को स्थायित्व दे दिया जाय तो कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि जब कि हम यह देखते हैं कि इस प्रकार की घटनायें देश में हो जाती हैं तो हमें संकोच नहीं करना चाहिये कि अगर इस प्रकार का

[श्री आर० सी० शर्मा]

विधान रहेगा तो हमारे लिये कोई लज्जा की बात होगी । जब आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिये इस प्रकार के नियम की बहुत आवश्यकता है । हम को जो इतने अच्छे नागरिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं वह बहुत प्यारे हैं । अगर हम चाहते हैं कि वे हमारे अधिकार बने रहें, अक्षुण्ण रहें तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन की रक्षा के लिये यदि दो, चार या दस व्यक्तियों को नजरबन्द करना पड़े तो हम अवश्य करें । ऐसा करना पड़े तो कोई बुराई नहीं होगी । जहां पर बहुतों की रक्षा के लिये, समाज की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो वहां पर एक या दो व्यक्तियों के इस प्रकार के नागरिक अधिकारों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । वास्तव में इस से केवल उन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं । जो दूसरों के विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में बाधक होते हैं उन्हीं व्यवितयों के लिये यह विधेयक है । इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि किसी भी नागरिक को जो कि अपनी आजादी का प्रेमी है, जो कि दूसरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है इस विधेयक के विरुद्ध नहीं होना चाहिये । इस विधेयक की किसी धारा के विषय में यह सोचना कि यह ऐसा विधान है जो कि दूसरे देशों में नहीं है, जिस का विरोध स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले हम लोग किया करते थे, यह बहुत पुरानी बात है । आज परिस्थिति क्या है ? उस परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करना है । उस समय हमारे विरुद्ध जो कानून थे वह हमारे एक अपने राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक थे । आज हमारे अपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई भी विधान बाधक नहीं है । आज तो जो बाधा पैदा करने वाली बातें हैं वे हैं केवल हमारी प्रगति में, हमारे आगे बढ़ने में बाधा डालने वाली । प्रगति में बाधा डालने वाले व्यक्ति, तत्व, समाज और संस्थाओं के विरुद्ध अगर इस विधेयक का उपयोग होता है तो मैं तो इस कारण इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकता ।

मैं इस का पूरे दिल से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस को स्थायित्व दे दिया जाय । बार बार हर साल इस की अवधि बढ़ाने के लिये आने की अपेक्षा कुछ स्थायित्व मिलना इस के लिये अत्यन्त आवश्यक है ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिमी कटक) : ब्रिटिश काल का गृह-कार्य मंत्रालय एक प्रतिक्रियावादी विभाग था । स्वदेशी आन्दोलन के समय उन्हों ने १८१८ के विनियम ३ के अधीन देश के अनेकों उच्चकोटि के नेताओं को, देश निकाला दे कर उन्हें बर्मा में निरुद्ध कर दिया था । फिर रौलेट एक्ट लागू हुआ । इसी लिये गांधी जी ने क्रांति की और स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाया । इस आन्दोलन को रोकने के लिये अनेकों अधिनियम बनाये गये, परन्तु कोई भी इस आन्दोलन को रोक न सका ।

यद्यपि हम अपने राज्य को एक प्रजातन्त्र राज्य कहते हैं, तथापि हम ने आज भी प्रत्येक ढंग अंग्रेजों का ही अपना रखा है, और उन से भी अधिक भयानक रूप धारण कर रहे हैं ।

हमारे गृह-कार्य मंत्री जी का कहना है कि यह विधि मुख्य रूप से चोर बाजारी करने वालों के लिये है । परन्तु इस निरोध-विधि के अधीन, अभी तक चोर बाजारी करने वाले कितने व्यक्तियों को कारावास दिया गया है ? सारे देश भर में ऐसे आधी दर्जन भी नहीं

होंगे जिन को कारावास दिया गया है। बाकी सभी पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि आज की सरकार इन्हीं पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार निर्धनों की कुछ चिन्ता ही नहीं करती। वे अभी तक थोड़े से वेतन से ही अत्यन्त कठिनाई से अपना निर्वाह कर रहे हैं। क्या स्कूल मास्टर और क्या कारखानों में काम करने वाले श्रमिक सभी की आर्थिक अवस्था शोचनीय है। जब हम इन दीन दुःखी लोगों की दशा सुधारने का प्रयत्न करते हैं और इन के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें कारावास में डाल दिया जाता है, और यह भी केवल इसी लिये कि हम कांग्रेसी नहीं हैं। जब हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो यह अभियोग लगाया जाता है कि हम शान्ति और अनुशासन को भंग कर रहे हैं। यही तो अन्याय है।

अमरीका जो कि साम्यवाद का सब से बड़ा विरोधी है, वहां भी निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। भारतीय संविधान में हम ने कुछ बातें अंग्रेजों से ली हैं और कुछ अमरीकनों से, और स्थान स्थान पर पूंजीपतियों की रक्षा के लिये कोई न कोई नियम बना दिया है। वास्तविक अराष्ट्रीय व्यक्तियों को दण्ड इसलिये नहीं दिया जाता कि वे धनवान हैं, और बेचारे निर्धन व्यर्थ में ही फंस जाते हैं। यही तो बात है जिस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह घोर अन्याय है।

अब युग परिवर्तन हो चुका है। अब पुरानी बातें नहीं चलेंगी। चाहे भारत की जनता अनपढ़ है, परन्तु वह इसे समझती है और अब उस की अवहेलना नहीं की जा सकती। शीघ्र ही गांधी जी की भावना धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने के लिये जागृत होगी।

व्यक्ति की स्वाधीनता को नष्ट करने वाले इस निवारक निरोध अधिनियम का औचित्य वर्णन करते हुए गृह-कार्य मंत्री ने परामर्श दाता बोर्ड और उच्च न्यायालय के उपबन्ध का उल्लेख किया है। परन्तु बहुत से मामलों में इस बोर्ड और उच्च न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा वर्णित निरोध के अधिकारों को अपर्याप्त बता कर उन व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया है। वास्तव में ये व्यक्ति वे हैं, जिन के सामने सरकारी अधिकारी अपनी मनमानियां नहीं कर सकते, इसलिये वे इन्हें बन्द कर देते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में श्री मजूमदार का भी ऐसा ही मामला था। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वाद विवाद के आधार पर मैं समझता हूं कि सरकार ने यह अधिनियम केवल साम्यवादियों के लिये बनाया है। यदि ऐसी बात है तो सरकार सभी साम्यवादियों को बन्दी बना कर इस विधेयक को क्यों समाप्त नहीं कर देती।

कुमारी एनी मैस्करीन : उन्हें इतना साहस नहीं है।

श्री टेकचन्द : हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सारंगधर दास : निर्वाचन के समय रिहा हो कर साम्यवादियों ने निर्वाचकों से कहा कि यदि वे निर्वाचित नहीं होंगे तो उन्हें पुनः निरुद्ध कर दिया जायेगा। अब उन के संसद् और विधान सभाओं में आ जाने पर सरकार उन को क्यों निरुद्ध करना चाहती है? क्या मंत्री महोदय इस प्रकार कार्यापालिका और पुलिस के अधिकारियों की अकुशलता और अक्षमता में छिपाना चाहते हैं?

[श्री सारंगधर दास]

हैदराबाद में पुलिस का इतना बड़ा पहरा होने पर भी लायक अली भाग निकला। हम वर्षों से मध्यभारत और राजस्थान में मान सिंह तथा अन्य डाकुओं का ऊधम सुनते आ रहे हैं, परन्तु अभी तक भी वे पकड़े नहीं गये। यह अधिनियम पुलिस के असामर्थ्य की रक्षा करने के लिये बनाया जा रहा है। यहां तक कि जब विशेष पुलिस स्थापना कोई स्पष्ट मामला प्रस्तुत करती है, तो उसे फाइलों में ही दबा दिया जाता है। मुझे इस में सन्देह नहीं कि इसी कारण इस की अवधि बढ़ाई जा रही है, और इसे अगली बार विधि बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसी बातें सदा नहीं चल सकतीं। कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य उत्पन्न होगा जो यह कहेगा "मैं धर्म की स्थापना के हेतु युग युग में जन्म लेता हूं।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने इस पर दो अमेंडमेंट भेजे हैं जिन में से एक का जिक्र तो श्री दातार साहब ने अपनी तकरीर में किया जिस में मैं ने चाहा है कि इस बिल को एक दो साल के बाद हाउस में न लायें बल्कि मेरा असली मंशा यह है कि अगर कोई जरूरी बिल है जो कि देश के डिफेंस के वास्ते लाजिमी है तो उस को परमानेन्ट मेजर बना दिया जाय। मैं मौजूदा एक्ट को परमानेंसी के वास्ते मुनासिब नहीं समझता। हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में इस तरह का प्रावीजन रखा है जो कि पीस टाइम का प्रावीजन है, जो कि मैं मेनटेन करता हूं कि एक फंडामेंडटल राइट है, उस को परमानेन्ट ला बनाया जाय। मैं यह नहीं चाहता कि आप इस एक्ट को परमानेन्ट ला बना दें।

मेरा जो दूसरा अमेंडमेंट है वह यह है कि इस ऐक्ट को खत्म कर दिया जाय, इस को तीन साल के वास्ते जिन्दा न रखा जाय। उस का जिक्र मेरे दोस्त श्री दातार ने नहीं किया, और मैं मेनटेन करता हूं कि जो शहादत हमारे सामने इस पैम्पलेट में है उस को पढ़ कर मैं निहायत खुश हुआ हूं। मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन का एडमिनिस्ट्रेशन सारे हिन्दुस्तान में इतना कामयाब रहा है कि इस वैपन के रहते हुए इतने थोड़े केसेज हैं कि जो नैगलिजिबिल हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब अगर अकेली यही चीज पेश कर देते तो सारा हाउस उन के वास्ते हैलीलूजा गाने लग जाता। देखिये कैसे अच्छा किया है, इतने थोड़े आदमी अन्दर गये हैं। इस के वास्ते मैं देश को मुबारकबाद देता हूं कि वह देश जिस के अन्दर छत्तीस करोड़ लोग बसते हैं वहां की हालत इतनी ठीक है और इस के मातहत ज्यादा ऐक्शन का न लिया जाना यह साबित करता है कि देश के अन्दर कोई खास खराबी नहीं है वरना अगर खराबी होती तो कोई न कोई स्टेट तो किसी न किसी को पकड़ती और कार्यवाही करती। में जब फीगर देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। उस को देखने से मालूम पड़ता है कि बीस स्टेट्स में से सोलह स्टेट्स में एक भी आदमी के बरखिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया और ४ स्टेट्स में से सिर्फ ८ आदमी गिरफ्तार हैं यानी डिफेंस आफ इंडिया, फारेन रिलेशंस और सिक्योंरिटी आफ इंडिया यह जो मेन चीजें हैं उन के मुताल्लिक एक भी शख्स के खिलाफ १६ स्टेटों की गवर्नमेंट ने ऐक्शन नहीं लिया। सिर्फ चार स्टेटों में आठ आदमी पकड़े गये। अगर हमारे देश में यह सिचुएशन है और यह सिचुएशन बिल्कुल सही है क्योंकि गवर्नमेंट का पैम्फलेट सामने है, इस के वास्ते मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को और कट्री को मबारकबाद पेश करना

चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है, कि हमारे सामने यह शानदार रेकार्ड है लेकिन जहां मैं यह कहता हूं वहां इनडाइरेक्टली यह भी कहता हूं कि उन फीगर्स को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने दी हैं, मुझे कोई जरूरत इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के जारी रहने की नजर नहीं आती। यह ऐक्ट दरअसल तीन हिस्सों में तकसीमशुदा है और जो इस के खास अंग हैं। पहली यह है । जो दफा ९ लिस्ट नम्बर ७(१) में दी हुई है :

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस प्रकार करे--

(क) यदि उसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस बात का संतोष प्राप्त हो कि उस व्यक्ति को ऐसी किसी भी गति विधि से रोकने के लिये जो किसी भी प्रकार से--

(१) भारत रक्षा, भारत की विदेशी शक्तियों अथवा भारत की सुरक्षा से सम्बन्ध, अथवा

(२) राज्य की सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था को बनाये रखने, अथवा

(३) समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरण तथा सेवाओं के बनाये रखने--

के विरुद्ध हो।"

मेरा दावा यह है कि हमें हमेशा ही एक ऐसा कानून रखना होगा जिस के अन्दर डिफेंस आफ इंडिया, दी रिलेशंस आफ इंडिया विद फारेन पावर्स, सिक्योरिटी आफ इंडिया और सिक्योरिटी आफ स्टेट, इन चार चीजों के वास्ते जैसे हमारा हिन्दुस्तान है और जैसे हम जानते हैं, मुझे कोई वक्त ऐसा नजर नहीं आता जब आप को इन चीजों के वास्ते प्रावीजन न करना पड़े। आज हमारे देश के चारों तरफ फारेन स्टेट्स मौजूद हैं और खास तौर से वह स्टेटस जो हमारे फ्रंटियर्स पर हैं और दूसरे देशों से मिली हुई हैं उन के बारे में हमें हमेशा सावधान और बाएहतियात रहना पड़ता है कि वहां क्या हालत हो। पाकिस्तानी पंजाब से हमारा पंजाब का सूबा बिल्कुल मिला हुआ है, लाहौर से सीधा रास्ता रेल का अब हो गया है और लोग रोज पाकिस्तान से आते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो वहां से हिन्दुस्तान में आये और जिन को जासूस की तौर पर काम करते हुए पकड़ा गया। इसी तरह हमारे आसाम प्रान्त की सीमा तिब्बत से मिली हुई है। यह और ऐसी दूसरी स्ट्रेटिजिक पोजीशंस हैं जहां कि दूसरे देश के लोग ऐज स्पाई आ सकते हैं और उन की हरकतों के फलस्वरूप इस देश को नुकसान पहुंच सकता है। क्या हम नहीं जानते कि जिस दिन पन्द्रह अगस्त सन् '४७ को हम कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली हाल में आजादी का जश्न मना रहे थे, उस मौके पर तीन सौ आदमी मशालें लिये हुए स्वराज्य के खिलाफ नारे लगाते हुए दिल्ली शहर के अन्दर फिर रहे थे। छत्तीस करोड़ की आबादी वाले देश में ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिफेंस आफ इंडिया के लिहाज से या सिक्योरिटी आफ इंडिया के लिहाज से ऐसी हरकतें करें जो सीक्रेट फेल हों या किसी बाहर की पावर से मिल कर कोई ऐसी कार्यवाही करें जो हमारे देश की खातिर नुकसानदेह साबित हो, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिये और देश में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की खातिर गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ता है और ऐक्शन लेना पड़ता है और इस वास्ते यह पावर जरूरी है। क्या हम नहीं जानते कि लार्ड किचनर को खुद एक अंग्रेज ने मुखबरी कर के डुबवा दिया था और क्या हम नहीं जानते कि जब पन्द्रह अगस्त सन् '४७ को अंग्रेजों ने भारत को स्वाधीनता दी थी तो कुछ देशी रजवाड़ों ने अपना सिर उठाना चाहा था और वह समझते

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

थे कि यह नुकीली टोपी पहनने वाले हमारा क्या कर लेंगे, हम जो चाहें मनमानी कर सकते हैं। ऐसे हालात में और ऐसे लोगों के खिलाफ डीफेंस आफ इंडिया की खातिर उन से डील करने के लिये कानून बने तो मैं उस का मुखालिफ नहीं हूं। देश के मफाद को महफूज रखने की खातिर इस तरह का कानून जरूरी है। मैं रूस नहीं जाना चाहता कि वहां पर कैसा कानून चल रहा है या अमरीका के अन्दर ऐसा कानून नहीं है या वहां पर कोई नया कानून बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। मैं तो अपने कंट्री की मजबूती और अपने इंटरेस्ट को देखना चाहता हूं कि मेरे देश में मौजूदा हालात में ऐसे कानून की जरूरत है या नहीं। मैं महसूस करता हूं कि देश के डिफेंस और सिक्योरिटी के वास्ते ऐसा कानून रहना जरूरी है जिस के जरिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐसे आदमियों के खिलाफ ऐक्शन ले सके जो सीक्रेट ऐक्टिविटी में लगे हों और जो हमारे मुल्क के लिये नुकसानदेह हों। ऐसे खतरनाक लोगों के लिये गवर्नमेंट के पास यह पावर जरूर रहनी चाहिये कि वह उन को विदाउट ट्रायल जेल में रख सके। एक वर्ष से ज्यादा आप उन को डिटेंशन में रख नहीं सकते और पांच दिन से ज्यादा आप का कोई मजिस्ट्रेट जब तक उस को ग्राउन्ड्स आफ डिटेंशन न मिलें, नहीं रख सकता। इस के अलावा तीन महीने के अन्दर बोर्ड मुकर्रर करना होगा। यह सेफगार्डस उस में दिये हुए हैं। तीन महीने से ज्यादा गवर्नमेंट किसी शख्स को बिला ऐडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के जेल में नहीं रख सकती ; यह इस सम्बन्ध में फंडामेंटल राइट है। कांस्टीट्यूशन की दफा २१ और २२ की रू से आप ने गवर्नमेंट के हाथ बांध दिये हैं कि एक शख्स जो गिरफ्तार होता है उस को चौबीस घंटे के अन्दर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मैं अपने पिछले पन्द्रह बीस वर्षों के तजुर्बे से जानता हूं कि पहले यहां पर डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट था, पबलिक सेफ्टी ऐक्ट बनाये गये। मैं जानता हूं कि इस देश के अन्दर क्या हालात थे जब यह कानून बनाये गये थे। मुझे याद है कि जब यह कांस्टीट्यूशन बनाया गया उस वक्त हम ने ऐसे कानून की जरूरत महसूस की और उस वक्त दो ख्यालों के लोगों में राइट रायल बैटिल हुई। वहां पर दो प्वाइंट्स आफ व्यू थे। ड्यू प्रासेस आफ ला क्लाज में और लेजिस्लेचर के पूरे अख्तियारात के बीच में यह वाया मीडिया ढूंढ़ा गया। एक मत (ड्यू प्रोसेस आफ ला) वाले यह कहते थे कि कोई कानून बनाइये, अदालतें उसे देखेंगी कि वह दुरुस्त है या नहीं। दूसरे मत वाले कहते थे अगर इस तरह का ला बना तो बिल्कुल अनसरटेंटी हो जायेगी। दफा १९ के अन्दर लफ्ज रीजनेबुल रिस्ट्रक्शंस रखने के वास्ते जो उस वक्त हाउस में झगड़ा हुआ, मैं वह सारी कहानी हाउस को इस वक्त सुनाना नहीं चाहता। कांस्टीट्यूशन के अन्दर यह चीज मान ली गयी है कि हम ऐसा कानून बना सकते हैं अगर जरूरत हो और जरूरत पड़ने पर उस में तबदीली भी कर सकते हैं। कांस्टीट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है और इसलिये यह कहना कि हम ऐसा कानून नहीं बना सकते, दुरुस्त नहीं है। कांस्टीट्यूशन की दफा ३५८ और ३५९ के अन्दर प्रेसीडेंट को इमरजेंसी के वक्त यह अख्तियार हासिल है कि ऐसे मौके पर वह दफा ३३ के अन्दर जी गारन्टी फंडामेंटल राइट्स की दी गई है उस को थोड़े अर्से के वास्ते स्थगित कर दे। यह कहना कि यह पीस टाइम का ला नहीं है या यह लालेस ला है, यह बिल्कुल गलत है। आप भले ही इस को सफ़ेद कानून कहिये या काला कानून कहिये, लेकिन यह लालेस कानून नहीं है।

हमारे आईन ने हमको प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट बनाने की इजाजत दी है लेकिन ताहम हम ऐसा कानून बनाने के वास्ते मजबूर नहीं हैं ।

मैं इस प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के एक ही मायने समझता हूं कि किसी आदमी को जुर्म करने से रोका जाय । जैसे दफा १०७, १०८, १०९ और ११० की मंशा है, उसी तरह का यह कानून है । इस कानून का इस्तेमाल किन्हीं ऐसे लोगों के ऊपर करना, जिन्हों ने कोई जुर्म करा हो, जायज नहीं है, उस को डील करने के लिये तो हमारे पास आर्डिनेरी ला मौजूद है जिस के जरिये हम ऐफेक्टिवली डील कर सकते हैं और सजा कर सकते हैं । अभी थोड़े दिन ही हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिस में उन्हों ने इनवैस्टिगेशन कमीशन ला को अवैध करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शख्स पर दो किस्म के कानून लगाना जायज नहीं है और यह कांस्टीट्यूशन की दफा १४ के बरखिलाफ है जिस में इक्वैलिटी बिफोर दी ला का सिद्धान्त माना गया है । जब २१६ दफा हमारे पैनेल कोड में मौजूद है जिस में हारबरिंग आफ रौबर्स ऐटसेटरा का जिक्र आया है, जब डकैतों के वास्ते कानून मौजूद है तब हम फिर किसी शख्स को हारबरिंग आफ रौबर्स के अपराध में प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में नहीं ले सकते हैं । जहां तक ला का सवाल है मैं यह कहने को तैयार हूं कि इस को इस कानून के अन्दर नहीं लिया जा सकता । इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे आर्डिनेरी कानून में ब्रीच आफ दी पीस के वास्ते दफा १०७ मौजूद है जो इस प्रोस्यीज्योर से कहीं अच्छी है क्योंकि उस में कोई ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने जाने का सवाल नहीं है, उस में तो कोर्ट जाने का सवाल है । इसी तरह दफा ११० सिर्फ बदमाशों से डील करने के लिये है । मैं इन के बारे में और ज्यादा जिक्र कर के हाउस का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता । दफा ११० में चार, पांच मुद्दे हैं जिन में हारबरिंग, हैबीचुअल थैफ्ट और ऐसे आदमी जो डिसपैरेट्स होते हैं वह भी शामिल हैं । गुंडा ऐक्ट बम्बई और दूसरी जगहों पर बने हुए हैं । इन कानूनों के होते हुए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को इजाजत नहीं दे सकते कि इनका इस्तेमाल किया जाय । हम ने इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को उन खास हालात में ऐक्शन लेने के लिये पास किया है जो मैं ने आप से पहले अर्ज किये । इस को पास कराने के लिये सरदार पटेल ने अपील की और उस वक्त सिचुएशन ऐसी खराब और नाजुक थी कि ऐसा कानून होना बहुत जरूरी था और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ने उस कानून को एक दिन में पास कर दिया । सन् '४६ में मुल्क की हालत इतनी नाजुक थी कि हम ने गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया कि गवर्नमेंट अगर जरूरत समझे तो किसी अनरूली और वायलेंट मौब पर ऊपर से बिला वारनिंग बम बरसा दे तो भी उस का यह ऐक्शन जस्टिफाइड होगा । हमारे होम मिनिस्टर साहब एक बिल लाये कि किसी नाजायज मजमे को हटाने के वास्ते वह फौज का, लैंड आर्मी का भी, इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवी और ऐयर फोर्स का भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें लैंड आर्मी के इस्तेमाल करने की पावर हो । हम हर एक बिल जो गवर्नमेंट लायेगी उस को सपोर्ट करेंगे जो देश की खास हालत को देखते हुए जरूरी होगा लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इस किस्म का ऐक्ट हमारे देश के परमानेन्ट स्टैचूट पर रहे । मैं ने अपने दोस्त श्री राघवाचारी की स्पीच सुनी और मैं बिल्कुल उन की इस बारे में ताईद करता हूं कि आज जो यह १३१ या ४१० आदमी जो किसी जमाने में कैद में थे, मुझको नहीं मालूम कि इस के अन्दर कितने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बिल्कुल बे गुनाह आदमी हैं जो कि महज पुलिस रिपोर्ट पर जेल खानों में सड़ रहे हैं, उन्हीं पुलिस रिपोर्ट्स पर जिन के लिखे हुए पर कोई एतबार नहीं करता उन्हीं पुलिस रिपोर्ट्स की बिना पर चाहे वह बदमाश हों, गुंडा हों, उन पर इस तरह का कानून, आयद करना यह मेरे नजदीक वाजिब नहीं है। और फिर इस हिन्दुस्तान में जिस के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे होम मिनिस्टर श्री कैलाश नाथ काटजू गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उस के अन्दर कांशसनेस के वास्ते किसी व्यूज के रखने के वास्ते किसी आदमी को पकड़ना नाजायज है और वह खुद जानते हैं कि यह नाजायज है। उन्हों ने कल भी फरमाया था कि हम किसी भी पार्टी के खिलाफ इस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज श्री दातार ने कहा कि कोई भी शख्स कोई विउज रख सकता है, हम उस के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप की एक्टिविटीज खराब हैं, ऐन्टी स्टेट हैं, तो हम उस के खिलाफ ऐक्शन लेंगे। अगर यह सही है, अगर मुल्क में यह हालत है, तो मुझे बतलाया जाय कि क्यों इस ऐक्ट को तीन साल के लिये बढ़ाया जाता है। लेकिन जिस चीज को हम हमेशा से बुरा समझते रहे हैं, मैं उस को इस कानून के अन्दर रखना नहीं चाहता। म कांग्रेस की सारी हिस्ट्री की याद दिलाने की जरूरत नहीं समझता। हम ने रौलेट ऐक्ट के खिलाफ एजिटेशन किया, लाखों आदमी कैद के अन्दर चले गये, हम नहीं चाहते कि हम देश के अन्दर इस तरह के कानून लायें जब तक कि उस की जरूरत न हो। हां, अगर जरूरत हो तो आप इस से भी सख्त कानून लाइये, जो कुछ हम से हो सकेगा हम उस के लिये करेंगे। लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारे देश के अन्दर बड़ी पीस है। हमारे देश के लोग बड़े पीस लविंग हैं, सारी दुनिया के अन्दर आज हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम लोग पीस लविंग हैं, और ठीक ही कह रहे हैं। आप भी कहते हैं कि हम ने इस कानून का बड़ी ऐहतियात से इस्तेमाल किया है। अगर कोई पार्टी खराब काम नहीं करती, अगर वह कोई जुर्म नहीं करती है, तब तो उन के खिलाफ इस का इस्तेमाल होगा ही नहीं, लेकिन अगर करती है तो आप के पास और कौन से ज़राये मौजूद हैं जिन की रू से आप उन्हें पकड़ सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क का क्रेडिट इसी बात से जांचा जाता है कि वहां के रिप्रेसिव लाज किस किस्म के हैं। आज हम ढोल पीट पीट कर दुनिया के अन्दर कह रहे हैं कि हम पीस लविंग हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हम तरक्की की जानिब रोज बरोज कदम बढ़ा रहे हैं। आज श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी ने कहा कि स्टारवेशन और हंगर को रोकिये। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज स्टारवेशन और हंगर नहीं है। अगर हम तरक्की न करते होते तो हमें इस तरह के लाज़ की जरूरत पड़ती। आज फूड की प्राबलम तय हो गयी, और आप की दूसरी प्राब्लम्स भी तय हो रही हैं, जिन के तय न होने से लोग जुर्म किया करते हैं वह प्राब्लम्स आज मौजूद नहीं हैं। आज हम उस तरफ जा रहे हैं जिस में कम से कम जरायम होंगे। मुझे उम्मीद थी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो ऐक्ट पेश करेंगे वह सिर्फ ऊपर की बताई चार मदों के मुताल्लिक होगा और वह पहले से अच्छा होगा क्योंकि हम जो लिस्ट देखते हैं डेटेन्यूस की, और जैसा दातार साहब ने बताया, १०,९६२ से ले कर होते होते वह अब इतने कम हो गये हैं। ऐसे ही आप किसी चीज को देख लें। यह सच है कि इस ऐक्ट को आगे बढ़ाने के वास्ते ग्राउन्ड्स दिन ब दिन कमजोर होती जाती हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर सब लोग

आप को मुबारकबाद देते कि आप ने देश का इन्तजाम इतना ठीक कर दिया ।

श्री गिडवानी : आज भी हम मुबारकबाद देने को तैयार हैं अगर वह इस को विदड्रा कर लें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस हद तक जाने को तैयार नहीं हूं जिस हद तक कि दूसरे दोस्त गये हैं । जैसा कि मैं ने अर्ज किया इन वजूहात से मैं यकीन रखता हूं, जैसा कि श्री दातार साहब ने फरमाया, जो रिस्ट्रेन्ट और ट्रैडिशन्स आज दूसरे देशों में मौजूद हैं अगर वह इस देश में भी आ जाय तो पब्लिक ही ऐसे आदमियों को जुर्म नहीं करने देगी । अगर वह कुछ करना भी चाहेंगे तो पब्लिक उन की सुनेगी ही नहीं । अभी वह हालत नहीं पहुंची है, इस वास्ते मैं महसूस करता हूं कि जब तक वह हालत न आ जाय उस वक्त तक हमें एक हथियार चाहिये जिस से कि हम अपना बचाव कर सकें । डिफेंस आफ इंडिया और सिक्योरिटी स्टेट के वास्ते जो हथियार हमारे लिये जरूरी है वह तो हम को अपने हाथ में जरूर रखना चाहिये । लेकिन आप इस को तीन साल के लिये क्यों लेते हैं ? अगर आप कान्स्टीट्यूशन की पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि यह कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल २२ हमारा एक कम्प्रोमाइज था । अभी श्री राघवाचारी ने श्री कृष्णचन्द्र शर्मा को चेलेन्ज करते हुए कहा कि हमारे पास इस से अच्छा कानून मौजूद है । गरीब नवाज, इस में शक नहीं है कि आज ११० जाब्ता फौजदारी में तीन साल की सजा दी जाती है अगर जुर्म साबित हो जाये, कोर्ट में । लेकिन इस ऐक्ट के अन्दर एक साल के लिये ही रक्खा जाता है । मैं जेल कमेटी का चेअरमैन था । मैं ने देखा कि डेटेन्यूज को मामूली कैदियों के मुकाबले में पैसा भी दिया जाता है । कइयों को आप तनख्वाह भी देते हैं । मेरा यह ऐतराज नहीं है । मैं तो कहता हूं कि जब तक साबित न हो जाये तब तक इन्नोसेन्ट आदमियों को डेटेन्यू बनाना ही नहीं चाहिये । कोई भी इस चीज को नहीं कह सकता कि बगैर साबित हुए किसी को सजा दी जाये । कहा जाता है कि डेटेन्यू के लिये बहुत कम रेस्ट्रिक्शन्स हैं, जेल के अन्दर । लेकिन उस के ऊपर सब से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्स हैं । दूसरे आदमी जो हैं वह कोर्ट में खड़े हो कर कह तो सकते हैं, साबित करने की कोशिश तो कर सकते हैं कि हम इन्नोसेन्ट हैं । आज डेटेन्यूज़ के मामलों पर ऐडवाइजरी बोर्ड विचार करता है । लेकिन अगर ऐडवाइजरी बोर्ड के मेम्बर देवता भी हो जायें तब भी डेटेन्यूज़ को वह कान्फिडेन्स नहीं मिल सकता जो कि उन को कोर्ट में जाने और अपने मामले को अदालत में पेश कर के हो सकता है । हम देखते हैं कि ऐडवाइजरी बोर्ड ने ६५ आदमियों को छोड़ दिया, ६५ आदमियों को छोड़ दिया गया लेकिन ताहम ऐसे ऐक्यूज्ड मौजूद हैं जो शायद अदालतों में छूट जाते, यहां छूट नहीं सके भले ही उन की तादाद बहुत कम हो । हम सब लोग जानते हैं और चाहते हैं कि लोगों को आज़ादी हो । यहां पर कुमारी ऐनी मैस्करीन ने बिल आफ राइट्स, मैगना कार्टा और डाइसी की बातें सुनाईं । लेकिन उसी तरह से आज़ादी की बातें श्री काटजू के दिमाग में रेजे रेजे में भी मौजूद हैं । हम में से कोई नहीं चाहता कि इस तरह से लोगों को डिटेन किया जाय, लेकिन अगर मजबूरी हो तो चाहे यह इन्हेरेन्टली बैड चीज हो तो भी हिन्दुस्तान की सेफ्टी के लिये इस चीज को रखना ही पड़ेगा । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सूरते हालात को देखते हुए, सब चीजों का जायजा लेते हुए कि देश की क्या हालत है इस ऐक्ट को जितना हो सके महदूद कर दिया जाय । आप डिफेन्स

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आफ इंडिया, फारेन रिलेशन्स, सिक्योरिटी आफ स्टेट, सिक्योरिटी आफ इंडिया, के लिये ठीक व कड़ा कानून बनावें और परमानेन्ट ला बना लें । ला और आर्डर और पीस के लिये हमारे पास बहुत कानून व अख्तियार मौजूद हैं । आप का कंट्रोल जाता रहा, इसलिये ऐसेन्शियल सप्लाइज की चीज खत्म हो गई । कितने आदमी थे जो इन चीजों के अन्दर कैद होते थे, जो इस तरह के डेटेन्यूज होते थे अगर आप को उन की कहानियां सुनाऊं कि वह किस तरह जेल में पहुंचे और उन लोगों को पुलिस वालों ने किस कदर तकलीफ दी है तो आप उस को सुन कर हैरान हो जायेंगे । जो काम सीक्रेट होता है अगर उस का अख्तियार आप पुलिस को दें तो नामुमकिन है कि उस के अन्दर बेइन्साफी न हो । इस वास्ते हालात की शक्ल को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, यह तो जायज नहीं होगा कि हम यह कहें कि इन चारों उपरोक्त चीजों के लिये हम किसी किस्म का कानून नहीं चाहते, और इस की बड़ी वजह यह है कि इतने बड़े देश में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या न हो, लेकिन ऐसे आदमी आप को जरूर मिलेंगे जो हमारी सिक्योरिटी आफ स्टेट, हमारे डिफेन्स आफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने के वास्ते तैयार होंगे । जिस मुल्क का इतना बड़ा कई हजार मील का फ्रंटियर हो, उस की गवर्नमेंट को अपने हाथ में कोई न कोई हथियार रखना ही चाहिये, चाहे कांग्रस की गवर्नमेंट हो या और कोई गवर्नमेंट ही क्यों न हो, हम चाहते हैं कि ऐसा हथियार हाथ में जरूर रहे । और मैं कभी यह महसूस नहीं करना चाहता कि हमारे पास नाजुक वक्त के लिये यह हथियार नहीं है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों से जिन्हों ने बड़े जोरों से क्रिटिसिज्म किया है इस बिल को कि अगर सारी स्टेटों में से, ३० स्टेटों में से, ज्यादातर में इस का इस्तेमाल नहीं हुआ तो, गरीब नवाज, इस कानून को रखने में नुकसान ही क्या है ? मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि किस को इस कानून से नुकसान पहुंचा है ? सिवा साइकालोजिकल नुकसान के आप का क्या नुकसान हुआ अगर कोई कैद ही नहीं हुआ ? अगर आप चाहते हैं तो जहां पर हम ने इस बात को रक्खा कि टेडेन्यूज के मामलों पर विचार करने के लिये ऐडवाइजरी बोर्ड बैठे, वहां पर एक और सेफगार्ड रख दिया जाय । पार्लियामेंट की एक कमेटी बैठाई जाय जो कि इन चीजों को देखती रहे । लेकिन आप को शिकायत कैसे हो सकती है कि यह कानून खराब है अलावा इस के कि आप साइकालोजीकली इस के खिलाफ हों । और इस के बखिलाफ होने में हम सभी शामिल हैं, कोई नहीं चाहता था कि इस तरह से कोई कंट्रोल लोगों की आजादी पर रक्खा जाय । चाहे हम और आप गवर्नमेंट को कितना ही कोसें, लेकिन सच्चाई यही है कि हम में से कोई नहीं चाहता था कि इस तरह का कानून हमारे यहां रहे । लेकिन अगर मजबूरी हो तो क्या किया जाय । जैसा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि सारी स्टेट्स ने लिख दिया कि वह बिना इस कानून के काम नहीं कर सकतीं तो वह क्या करें । वह स्टेट भी इसे लिखने में शामिल हैं जिन्हों ने बिल्कुल इस कानून को काम में लाने में हिस्सा नहीं लिया । आखिर उन को क्या जरूरत महसूस हुई ? इस वास्ते मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हम को इस चीज को बहुत डिस्पैशनेटली देखना चाहिये । जब आप ने इस कानून को दो साल के लिये रखा था तो मैं उम्मीद करता था कि दो साल बाद आप कहेंगे कि अब हम इस ऐक्ट को ज्यादा रायज नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस को आगे साइकालोजिकली रखना चाहते

हैं तो आप को क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिये, हम परवाह नहीं करते कि लोग बुरा कहते हैं या भला, देश के डिफेन्स के वास्ते जो मशीनरी जरूरी होती है उसे रखना ही चाहिये और मैं इस के हक में हूं कि अगर आप चाहें तो इस को ऐमेन्ड कर के इस के कुछ हिस्सों को परमानेन्ट मेजर बना दें। इस के जो हिस्से १(ए) और पार्ट १ (बी), यानी जहां तक सिक्योरिटी आफ स्टेट का ताल्लुक है, उस को आप कायम रखें और उस को और सख्त कर दें। उसे अडजस्ट न करें लेकिन उस को सख्त बना दें। जहां तक बाकी हिस्सों का ताल्लुक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिन की बजह से यह कानून नाकाबिले बर्दाश्त है उन को इस में से निकाल दीजिये। उस के लिये जो आप के दूसरे ला हैं उन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस में यह मालूम हो कि बिना जरूरत आप इस को नहीं रखना चाहते हैं। आज हालत यह है कि बहुत सी मदों की कोई जरूरत ही नहीं है। आज कंट्रोल नहीं है, इसलिये ब्लैक मार्केटिंग का क्या सवाल है? प्राफिटियरिंग का कोई सवाल नहीं है। इसलिये इस की जरूरत नहीं है। जहां तक ला ऐंड आर्डर का सवाल है उस के लिये आप के जराये इतने सख्त हों और इतने मजबूत हों कि इस कानून की जरूरत ही न रह जाय। अगर किसी जगह कुछ जरूरत पड़े तो आप आर्डिनरी कानून से काम लें। इस से लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा और उन को ज्यादा सजायें मिलेंगी।

आखिर में, मैं एक सवाल करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें कि अगर किसी आदमी को डेक्वायट्स को हारबर करने के लिये आर्डिनरी ला में सात साल की सजा मिल सकती है और आप के पास सबूत काफी हो तो इस कानून के अन्दर उस को छः महीने या एक साल के लिये डिटेन करने से क्या फायदा?

आप के इस पैम्फलेट से जाहिर है कि तीन तीन दिन के वास्ते आदमी पकड़े हुए हैं दस दस दिन के वास्ते आदमी पकड़े हैं। आपने ज्यूडिशसली इस का इस्तेमाल किया है।

श्री गिडवानी : निर्दोष थे?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह मैं नहीं कहता। मुझे पता है कि कितना लम्बा प्रोसीजर है। पुलिस से रिपोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंटर के पास आती है। असलियत का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है।

मैं महसूस करता हूं कि जो आप इसे ३ साल के लिये बढ़ा रहे हैं यह जायज नहीं है। जब तक आप इसे रखेंगे इस का जरूर इस्तेमाल होता रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स हमेशा कहेंगी कि इस की जरूरत है। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसका उतना हिस्सा ही रखें जो डिफेंस और सिक्योरिटी आफ स्टेट से ताल्लुक रखता है, और फारेन रिलेशन्ज का।

श्री भागवत झा आजाद : आप की क्या राय है? यह जरूरी है या नहीं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं तो कहता हूं कि ३१(ए) जो स्टेट की डिफेंस और सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है वह बना रहना चाहिये और बाकी के हिस्से को रखने की कोई जरूरत नहीं है और अगर हम रखेंगे तो इंसाफ नहीं करेंगे और यह कांस्टीट्यूशन के उसूलों के साथ भी इंसाफ नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं ऐसा करने से देश में अशान्ति भी पैदा न हो जाए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होगी।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—561 LS —18-6-55—285